अध्याय I

राजस्व क्षेत्र

अध्याय 1

राजस्व क्षेत्र

1.1 परिचय

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा जुटाया गया कर एवं गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान और पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़े **तालिका-1.1.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका-1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	**रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जुटाया गया राजस्व**					
	कर-राजस्व	35,717.02	36,624.67	36,565.87	29,425.33	40,018.68
	गैर-कर राजस्व	766.06	644.16	1096.89	979.67	826.99
	कुल	**36,483.08**	**37,268.83**	**37,662.76**	**30,405.00**	**40,845.67**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	सहायता अनुदान	2,184.19	5,843.77	9,473.05	11,458.60	8467.31
3	**रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**38,667.27**	**43,112.60**	**47,135.81**	**41,863.60**	**49,312.98**
4	**1 से 3 का *प्रतिशत***	**94**	**86**	**80**	**73**	**83**

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. का वित्त लेखा

2017-18 से 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति को **चार्ट 1.1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1.1: वर्ष-वार राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

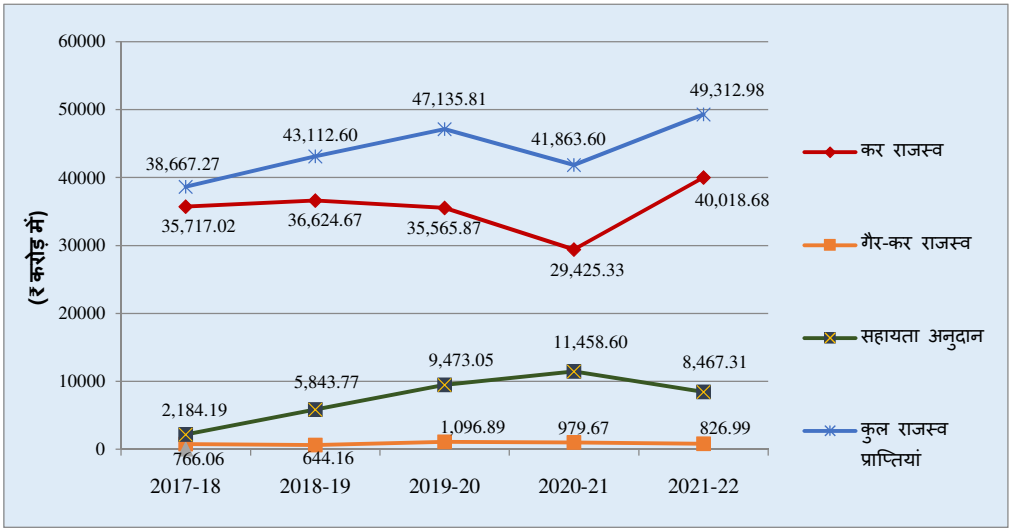

राजस्व प्राप्तियां 8 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 2017-18 में ₹ 38,667 करोड़ से 27.53 *प्रतिशत* बढ़कर 2021-22 में ₹ 49,313 करोड़ हो गई, जिसमें से रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियां (कर और गैर-कर) पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में ₹ 10,440.67 करोड़ (34.34 *प्रतिशत*) बढ़ गई।

2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियां में पिछले वर्ष की तुलना में 17.79 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण अपने कर राजस्व में ₹ 10,594 करोड़ (36 *प्रतिशत*) *की वृद्धि थी।*

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. की कर राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी 2017-*18 में* 92.37 *प्रतिशत* से घटकर 2021-*22 में* 81.15 *प्रतिशत* हो गई। 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 94.35 *प्रतिशत* रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान का योगदान 5.65 *प्रतिशत* था। वर्ष 2021-22 में, लगभग 82.83 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आईं जबकि सहायता अनुदान का योगदान 17.17 *प्रतिशत* था।

- **कर राजस्व का विश्लेषण**

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.1.2: जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2017-18 (कुल कर राजस्व का *प्रतिशत*)	2018-19 (कुल कर राजस्व का *प्रतिशत*)	2019-20 (कुल कर राजस्व का *प्रतिशत*)	2020-21 (कुल कर राजस्व का *प्रतिशत*)	2021-22 (कुल कर राजस्व का *प्रतिशत*)	2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का *प्रतिशत*
1	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	13,620.84 (38.14)	19,186.57 (52.39)	19,464.95 (53.23)	15,676.15 (53.27)	22,263.43 (55.63)	42.02
2	बिक्री कर	11,149.17 (31.22)	5,885.75 (16.07)	5474.67 (14.97)	4,411.20 (14.99)	5,099.46 (12.74)	15.60
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,453.49 (12.47)	5,028.19 (13.73)	5,068.01 (13.86)	4,108.15 (13.96)	5,487.58 (13.71)	33.58
4	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,117.07 (11.53)	4,458.62 (12.17)	4,606.39 (12.60)	3,548.80 (12.06)	5,212.08 (13.02)	46.87
5	वाहनों पर कर	2,115.76 (5.92)	2,054.75 (5.61)	1,948.09 (5.33)	1,676.18 (5.70)	1,955.68 (4.89)	16.67
6	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	259.18 (0.73)	10.68 (0.03)	1.14 (0.003)	0.67 (0.002)	0.44 (0.001)	-34.33
7	भू राजस्व	1.51 (0.004)	0.11 (0.0003)	2.62 (0.007)	4.18 (0.014)	0.01 (0.00002)	-99.76
	कुल कर राजस्व	**35,717.02**	**36,624.67**	**36,565.87**	**29,425.33**	**40,018.68**	

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. *के वित्त खाते*

विभिन्न कर राजस्व का वर्ष-वार प्रवृत्ति की **चार्ट-1.1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1.2: वर्ष-वार कर राजस्व की प्रवृत्ति

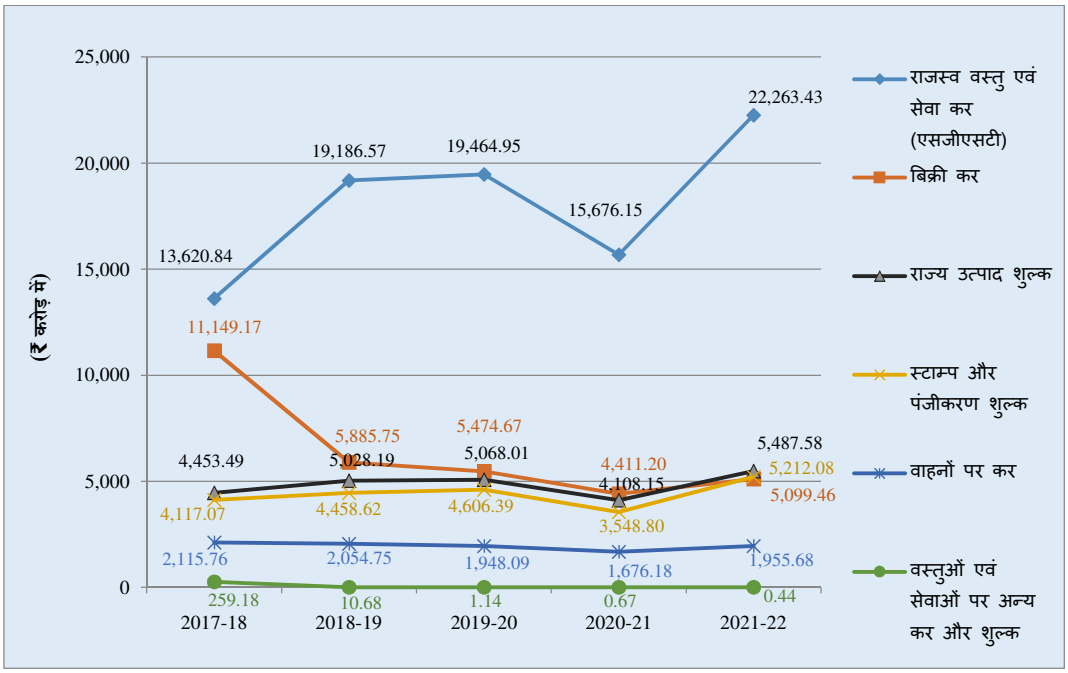

राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में ₹ 6,587.28 करोड़ (42.02 *प्रतिशत)* बढ़ गया। वर्ष 2021-22 के लिए 'राज्य उत्पाद शुल्क', 'स्टांप और पंजीकरण शुल्क' और 'वाहनों पर कर' शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: ₹ 1,379.43 करोड़ (33.58 *प्रतिशत)*, ₹ 1,663.28 करोड़ (46.87 *प्रतिशत)* और ₹ 279.50 करोड़ (16.67 *प्रतिशत)* की वृद्धि हुई जबकि 'भू-राजस्व' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 4.17 करोड़ (99.76 *प्रतिशत*) की कमी आई। सट्टेबाजी, विलासिता और मनोरंजन कर को जीएसटी में शामिल करने के बाद, 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क' शीर्ष के अंतर्गत कर प्राप्तियां 2017-18 में ₹ 259.18 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 0.44 करोड़ हो गई।

संबंधित विभाग ने वर्ष 2021-22 के दौरान भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताए:

एसजीएसटी/ बिक्री कर

विभाग ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए जाने से राजस्व में वृद्धि हुई है।

राज्य उत्पाद शुल्क

विभाग ने कहा कि वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि (33.58 *प्रतिशत*) हुई, जिसका मुख्य कारण कोविड़ 19 महामारी के कारण प्रतिबंध हटाना था।

वाहनों पर कर

विभाग ने कहा कि राजस्व संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से दिल्ली में नए वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के कारण थी।

भू राजस्व

भूमि एवं भवन विभाग भूमि राजस्व का नियमित संग्रहकर्ता नहीं है। तथापि, माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, इस विभाग को भू-राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है।

स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क

विभाग ने राजस्व में वृद्धि/कमी के कारण प्रस्तुत नहीं किये।

- **गैर-कर राजस्व का विश्लेषण**

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान जुटाए गए गैर-कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1.3: जुटाए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 की तुलना में 2021-22 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का *प्रतिशत*
1	ब्याज प्राप्तियां	396.25	113.46	404.38	467.96	356.02	-23.92
2	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	89.08	102.79	112.37	95.32	97.33	2.11
3	लोक निर्माण	14.34	17.75	13.28	43.26	22.71	-47.50
4	उर्जा	26.25	53.15	87.00	33.10	51.87	56.71
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	99.88	132.06	342.67	137.22	134.09	-2.28
6	अन्य गैर-कर प्राप्तियां	140.26	224.95	137.19	202.81	164.97	-18.66
कुल		**766.06**	**644.16**	**1096.89**	**979.67**	**826.99**	

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. *के वित्त खाते*

विभिन्न गैर-कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति **चार्ट-1.1.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.1.3: वर्ष-वार कर राजस्व की प्रवृत्ति

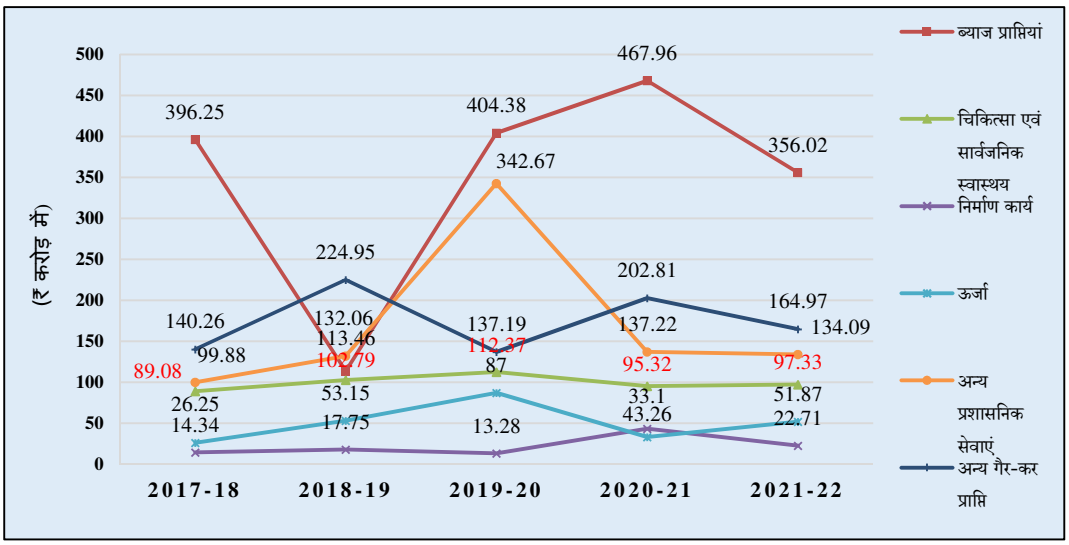

रा.रा.क्षे.दि.स. की गैर-कर प्राप्तियों में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में उतार-चढ़ाव आया। यह 2020-21 में प्राप्त राजस्व की तुलना में 2021-22 में 15.58 *प्रतिशत* कम हो गया। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान 'ब्याज

प्राप्तियों' और 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' से था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 111.94 करोड़ (23.92 *प्रतिशत*) और ₹ 3.13 करोड़ (2.28 *प्रतिशत*) की कमी आई।

वर्ष 2021-22 के लिए 'चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य' तथा 'उर्जा' शीर्ष के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 2.01 करोड़ (2.11 *प्रतिशत*), ₹ 18.77 करोड़ (56.71 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि 'लोक निर्माण' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 20.55 करोड़ (47.50 *प्रतिशत*) की कमी आई।

संबंधित विभाग ने 2021-22 के दौरान भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताए:

ब्याज प्राप्तियां

विद्युत विभाग ने कहा कि रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से विद्युत विभाग ने कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) को ऋण प्रदान किया था। विभाग ने आगे कहा कि डीटीएल ने सूचित किया है कि 2020-21 तक सभी बकाया मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान किया गया था। पीपीसीएल ने वर्ष 2020-21 में ब्याज के बकाया का भुगतान भी किया तथापि वित्त वर्ष 2021-22 में धन की कमी का सामना करना पड़ रहा था।

उर्जा

वित्तीय वर्ष 2020-21 का लाइसेंस शुल्क 2021-22 में प्राप्त होने से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

प्राप्तियों में भिन्नता का कारण मुख्य रूप से होम गार्ड से संबंधित अन्य सेवाओं और न्यायालयों/चुनाव से संबंधित अन्य प्राप्तियों के कारण कम प्राप्ति है।

शेष विभागों ने गैर-कर राजस्व की वृद्धि/कमी के कारण नहीं बताये।

1.1.2 राजस्व का बकाया

राजस्व का बकाया सरकार को देय/देय राजस्व की देरी से प्राप्ति का संकेत देता है। व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

मुख्य शीर्ष '0040-बिक्री, व्यापार पर कर' आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक राजस्व बकाया ₹ 71,475 करोड़ था, जिसमें से ₹ 25,248 करोड़ पांच साल से अधिक समय से बकाया था।

1.1.3 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (पीएजी) नियमों और प्रक्रियाओं में निर्धारित लेनदेन की नमूना जांच एवं खातों और अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों को निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) के माध्यम से जारी किया जाता है। जिसमें निरीक्षण के दौरान पाई गई और मौके पर न निपटाई गई अनियमितताओं को शामिल किया जाता है, जिसे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अगले उच्च अधिकारियों को प्रतियों के साथ निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है। कार्यालयों/सरकार के प्रमुखों को आईआर में निहित अभ्युक्तियों का तुरंत अनुपालन करना, दोषों और चूक को सुधारना और आईआर की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर पीएजी को अनुपालन प्रतिवेदन करना आवश्यक है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्षों और शासन को दी जाती है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी आईआर की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफ और 31 मार्च 2022 तक उनकी स्थिति को **अनुलग्नक 1.1** में दर्शाया गया है।

2012-13 में लंबित पैराओं की संख्या 10,144 (427 आईआर) थी जिसमें ₹ 9,858.65 करोड़ की राशि शामिल थी जो बढ़कर वर्ष 2021-22 के अंत में 10,148 (999 आईआर) हो गई, जिसमें ₹ 7,840.36 करोड़ की राशि शामिल थी जो इंगित करता है कि विभाग ने बकाया पैराओं के निपटान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

उत्तर न मिलने के कारण पैराओं का इतना अधिक लंबित होना इस तथ्य का संकेत है कि कार्यालय प्रमुखों और विभागों ने आईआर में लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई खामियों, चूकों और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्यकारी कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर करता है और राजस्व के परिहार्य नुकसान का जोखिम बढ़ाता है।

बड़ी संख्या में लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफ सरकार का ध्यान आकर्षित करती है ताकि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन और निपटान की नियमित निगरानी तथा समीक्षा के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

• विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने आईआर में लेखापरीक्षा पैराग्राफ के निपटान की प्रगति की निगरानी और उसमें तेजी लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना की है। तथापि, वर्ष 2021-22 के दौरान विभागों द्वारा कोई लेखापरीक्षा समिति की बैठक नहीं आयोजित की गई।

• अभिलेखों की जांच के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किया जाना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (बी) के अनुसार, कोई भी खाता, बही खाता, कागजात और अन्य दस्तावेज जो उन लेनदेन से संबंधित या आधार बनाते हैं या अन्यथा प्रासंगिक हैं जिनके लिए लेखापरीक्षा के संबंध में उनके कर्तव्यों का विस्तार किया गया है, उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जाए जिसे वे अपने निरीक्षण के लिए नियुक्त करें। कर राजस्व कार्यालयों के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले से तैयार किया जाता है और विभागों को लेखापरीक्षा शुरू होने से आमतौर पर एक महीने पहले सूचनाएं जारी की जाती हैं ताकि वे लेखापरीक्षा जांच के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड तैयार रख सकें।

व्यापारियों के प्राथमिक रिकॉर्ड व्यापार एवं कर विभाग की डीवीएटी प्रणाली में उपलब्ध थे, तथापि, कुछ मामलों में इन रिकॉर्डों को किसी भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। लेखापरीक्षा ने गहन जांच के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 124 व्यापारियों के भौतिक रिकॉर्ड की मांग की, लेकिन विभाग ने ये रिकॉर्ड (100 *प्रतिशत*) उपलब्ध नहीं कराए जो डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान की गई सीएजी की शक्तियों का उल्लंघन है। नतीजतन, इन मामलों में शामिल राजस्व का पता नहीं लगाया जा सका। राजस्व विभाग ने मांगे गये 100 *प्रतिशत* रिकार्ड उपलब्ध कराये जबकि परिवहन विभाग ने वर्ष 2021-22 के दौरान मांगे गए 160 मामलों में से 129 (81 *प्रतिशत*) के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई - सारांशित स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निपटाए गए मुद्दों के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि इन्हें लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए लिया गया है या नहीं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफ और निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) जारी करना है। इन एटीएन को दिल्ली की विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा विधिवत जांच कर पीएसी को प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, 31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के सीएजी की प्रतिवेदन में शामिल 30 पैराग्राफों के संबंध में प्रतिवेदन पर एटीएन में देरी हुई थी, जिसे अप्रैल 2018 और जुलाई 2022 के बीच राज्य विधानसभा के समक्ष रखा गया था। 31 मार्च 2020 और 2021 को समाप्त वर्षों की प्रतिवेदन सितंबर 2024 तक राज्य विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई है। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में संबंधित विभागों से एटीएन औसतन छह महीने की देरी से प्राप्त हुए थे। 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के 13 पैराग्राफ के संबंध में एटीएन विभागों से प्राप्त नहीं हुई थी जैसा कि **तालिका-1.1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1.4: पैराग्राफ, निष्पादन लेखापरीक्षा और एटीएन का विवरण

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त हो रहे प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में मुद्रित पैराग्राफ और निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	पैराग्राफों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिनके लिए एटीएन की प्रतीक्षा थी
1.	2017	7**+0 (पीए)**	0**+0 (पीए)**
2.	2018	8**+0 (पीए)**	0**+0 (पीए)**
3.	2019	7**+0 (पीए)**	5**+0(पीए)**
4.	2020	8**+0 (पीए)**	8**+0(पीए)**
5.	2021		
कुल		**30+0(पीए)**	**13+0 (पीए)**

पीएसी ने 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राजस्व क्षेत्र से संबंधित पैराग्राफ/पीए पर चर्चा नहीं की।

1.1.4 स्वीकृत मामलों की वसूली

विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों की स्थिति, जिसे विभागों द्वारा स्वीकृत की गई एवं वसूली गई राशि **अनुलग्नक 1.2** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2011-12 से 2020-21 के प्रतिवेदनों में ₹ 4920.71 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, जिनमें से ₹ 706.89 करोड़ के राशि से संबंधित अभ्युक्तियों को विभागों द्वारा स्वीकार किया गया तथापि, 31 मार्च 2022 तक विभाग द्वारा केवल ₹ 1.53 करोड़ (0.22 *प्रतिशत*) की वसूली की गई जो नगण्य थी। वसूली की अल्प राशि विभाग के उदासीन दृष्टिकोण और खराब निगरानी को दर्शाती है।

सिफारिशः विभाग उन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार कर सकते हैं जो स्वीकृत मामलों में वसूली करने में विफल रहे हैं।

1.1.5 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पिछले प्रवृति और अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें बजट भाषण में उजागर किए गए मामलों, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग की प्रतिवेदन (राज्य और केंद्र), कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा कवरेज और पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है।

165 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ[1] थीं जिनमें से 14 इकाइयां[2] की वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा की गई।

[1] जीएसटी/वैट-126, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-22, मोटर वाहन कर-16, राज्य उत्पाद शुल्क-1

[2] जीएसटी/वैट-2 राज्य उत्पाद शुल्क-1, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क-5, मोटर वाहन कर-6

1.1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2021-22 के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 8149.12 करोड़ की कर राजस्व प्राप्तियों वाली 165 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 14 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। अभिलेखों की नमूना-जांच में 93 पैराग्राफों में ₹ 1930.11 करोड़ की राशि से संबंधित कर/शुल्क का गैर/ कम आरोपण और अन्य अनियमितताएं पाई गई, जिन्हें **तालिका-1.1.5** में वर्गीकृत किया गया है। संबंधित विभागों ने ₹ 95.62 करोड़ की राशि के कम आंकलन और अन्य कमियों को स्वीकार किया।

तालिका-1.1.5: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

क्र.सं.	श्रेणियाँ	पैराग्राफ/मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
आबकारी, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग			
1	एल1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क की राशि ₹ 43.41 लाख की कम वसूली	1	0.43
कुल			**0.43**
व्यापार एवं कर विभाग			
1	जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग करने पर विभाग की निगरानी की अनुपालन लेखापरीक्षा	1	1866.35
2	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा	4	6.50
3	अन्य अनियमितताएं	17	19.82
कुल			**1892.67**
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क			
1	अन्य अनियमितताएं	40	9.62
कुल			**9.62**
परिवहन विभाग			
1	अन्य अनियमितताएं	30	27.39
कुल			**27.39**
कुल योग		**93**	**1930.11**

1.1.7 राजस्व अध्याय का कवरेज

राजस्व क्षेत्र पर इस अध्याय में "जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग करने पर विभाग की निगरानी" पर अनुपालन लेखापरीक्षा तथा ₹ 1873.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से संबंधित दो अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। संबंधित विभागों ने ₹ 95.62 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है। इन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

आबकारी विभाग

1.2 एल1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए ₹ 43.41 लाख के लाइसेंस शुल्क की अल्प वसूली

मेसर्स बकार्डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर वाइन/लिकर/अल्कोपॉप/मिश्रित अल्कोहलिक पेय पदार्थों के सभी पंजीकृत ब्रांडों के लिए ₹ 99.41 लाख के बजाय ₹ 56.00 लाख का लाइसेंस शुल्क लगाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.41 लाख के लाइसेंस शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम 34 में कहा गया है कि शराब के थोक और खुदरा लाइसेंस प्रत्येक वर्ष के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों के अनुसार उपायुक्त द्वारा दिए जाएंगे। नियम 34 के अंतर्गत थोक लाइसेंस (एल 1 लाइसेंस) देने के लिए नियम और शर्तों के खंड 1.1 के अनुसार, वाइन/लिकर/अल्कोपॉप/मिश्रित अल्कोहलिक पेय पदार्थों (एमएबी) के मामले में, देय लाइसेंस शुल्क ₹ दो लाख प्रति ब्रांड या उस ब्रांड के कुल थोक मूल्य का एक *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, पर अधिकतम ₹ 14 लाख होगा।

यह खंड स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि यह वाइन/लिकर/एमएबी/अल्कोपॉप के किसी भी यूनिक ब्रांड के लिए लागू है जो पंजीकृत है और लाइसेंस शुल्क की अधिकतम राशि एक ब्रांड पर ₹ 14 लाख लागू है। इस प्रकार, किसी भी अतिरिक्त ब्रांड के पंजीकरण के लिए ₹ दो लाख का लाइसेंस शुल्क लगेगा।

माह मई 2022 में आबकारी विभाग के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एल1 लाइसेंसधारी मेसर्स बकार्डी इंडिया प्रा. लिमिटेड, काशीपुर ने शुरुआत में आबकारी वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए वाइन/लिकर/अल्कोपॉप/एमएबी के 10 से 13 ब्रांड (आबकारी वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए) पंजीकृत किए, जिसके लिए कुल अग्रिम लाइसेंस शुल्क प्रति ब्रांड ₹ दो लाख के बजाय केवल ₹ 14 लाख (एक आबकारी वर्ष के लिए) लिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त ब्रांडों को बिना किसी अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के वर्ष के मध्य में पंजीकृत किया गया था, यह कहते हुए कि शुल्क का भुगतान पहले ही किया

जा चुका था। विभाग ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए वाइन/लिकर/अल्कोपॉप/एमएबी के सभी पंजीकृत ब्रांडों के लिए लाइसेंसधारी पर ₹ 56.00 लाख का लाइसेंस शुल्क लगाया, तथापि, ₹ 99.41 लाख का लाइसेंस शुल्क लगाया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.41 लाख के लाइसेंस शुल्क का कम वसूली हुआ, जैसा कि **(अनुलग्नक 1.3)** में बताया गया है।

विभाग ने कहा (फरवरी 2023) कि वाइन/लिकर/अल्कोपॉप/एमएबी का लाइसेंस शुल्क केवल सात ब्रांडों तक प्रति ब्रांड ₹ दो लाख या ब्रांड के थोक मूल्य का एक *प्रतिशत* लिया जाता है, जो अधिकतम ₹ 14 लाख होगा तथा अतिरिक्त ब्रांडों के पंजीकरण के लिए कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 34 के अनुसरण में एल-1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियमों और शर्तों में लाइसेंस शुल्क के संबंध में खंड 1.1 स्पष्ट रूप से बताता है कि देय लाइसेंस शुल्क ₹ दो लाख प्रति ब्रांड या उस ब्रांड के कुल थोक मूल्य का एक *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, पर अधिकतम ₹ 14 लाख होगा। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अधिकतम ₹ 14 लाख की यह सीमा एक से अधिक ब्रांड पर लागू होती है। यद्यपि, विभाग से सहायक दस्तावेजों के साथ शराब की पूरी श्रेणी पर सीमा लागू करने के लिए अपना तर्क प्रदान करने के लिए कहा गया था (अगस्त 2023), न कि किसी एक ब्रांड पर, लेकिन इस संबंध में विभाग से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

व्यापार एवं कर विभाग

1.3 जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा

जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर किया गया था, जिसमें 2017-18 के लिए फाइल्ड जीएसटी रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, रेड फ्लैग और नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था। लेखापरीक्षा में दो स्तरों पर विभाग के निरीक्षण कार्यों का आकलन करना शामिल था - वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर पर वार्ड और जीएसटी रिटर्न दोनो की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा, जिसमें करदाता अभिलेखों तक पहुंच शामिल थी।

विभाग ने जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत उचित अधिकारियों द्वारा रिटर्न की जांच के लिए एक मैनुअल/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार नहीं की। विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए रिटर्न की जांच के लिए अप्रैल 2022 में एसओपी जारी की। विभाग ने रिटर्न देर से भरने वालों और न भरने वालों पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी, और जीएसटीआर 10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट/एमआईएस प्रतिवेदन द्वारा दी गई रिपोर्टों पर कार्रवाई की कमी थी।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 308 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, विभाग ने 267 मामलों में प्रतिक्रिया दी। इनमें से 85 मामलों में ₹ 1702.53 करोड़ के राजस्व निहितार्थ सहित अनुपालन संबंधी कमियां थी। अनिर्धारित देनदारियों, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बेमेल, ब्याज का कम/गैर-भुगतान, प्राप्त अतिरिक्त रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) आईटीसी का लाभ उठाना, घोषित टर्नओवर में बेमेल आदि में अपेक्षाकृत अधिक कमियां देखी गई।

47 मामलों में ₹ 163.82 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 97 अनुपालन कमियाँ थीं। इनमें से, विभाग ने एक मामले में ₹ 92.25 करोड़ का आईटीसी रिवर्सल और दो मामलों में ₹ 0.16 करोड़ की वसूली की सूचना दी। मुख्य

कारण रिटर्न में मिस मैच के कारण अधिक आईटीसी का लाभ उठाना, ब्याज का भुगतान न करना, वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दिखाए गए आईटीसी को रिवर्स न करना, डीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 42 के साथ पठित, आईटीसी अधिनियम 2017 की धारा 17(2) के अनुसार आईटीसी को रिवर्स न करना, क्रेडिट का गलत विभाजन, कर देयता का कम निर्वहन, आर सी एम के तहत कर का गलत निर्वहन आदि थे।

1.3.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से इन्होंने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले और एकत्र किए जाने वाले कई करों की जगह ले ली है। 01 जो जुलाई 2017 से प्रभाव में आया, प्रत्येक मूल्यवर्धन पर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र और राज्य एक साथ समान कर आधार पर जीएसटी लगाते हैं। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) को राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाता है, और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) को अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है। दिल्ली जीएसटी (डीजीएसटी) अधिनियम 14 जून 2017 को अधिसूचित किया गया था।

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 59 जीएसटी को एक स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत कर देनदारी की गणना, गणना की गई कर देनदारी का निर्वहन और रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। जीएसटी रिटर्न सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, अन्यथा जुर्माना देय होगा। भले ही किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय पर कोई कर देनदारी न हो, फिर भी उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61, डीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 99 के साथ पढ़ी जाती है, जिसमें कहा गया है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जांच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है।

नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और दिल्ली के व्यापार एवं कर विभाग (विभाग) रा.रा.क्षे.दि.स. के निरीक्षण तंत्र के महत्व पर विचार करते हुए अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख था। 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा को निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया था ताकि आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

i. क्या नियम और प्रक्रियाएं, कर अनुपालन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थीं और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

ii. क्या वार्डों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

1.3.3 लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र

यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और रेड फ्लैग पर प्रकाश डाला गया था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने के डोमेन में 14 विचलनों के एक सेट की पहचान की गई थी। इस तरह के विचलनों का एक केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा[3] के माध्यम से अनुसरण किया गया, जिससे इन विचलनों को फील्ड विजिट के बिना विभाग के संबंधित वार्डों को सूचित किया गया और पहचाने गए विचलनों पर संबंधित वार्ड द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया गया। केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरा किया गया था जिसमें क्षेत्राधिकार वाले वार्ड के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए फील्ड विजिट शामिल था। करदाताओं से

[3] केंद्रीयकृत लेखापरीक्षा में करदाता के वित्तीय विवरण, संबंधित खाता बही, बीजक, अनुबंध आदि जैसे विस्तृत अभिलेखों की मांग करना शामिल नहीं था।

संबंधित डेटा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न और अन्य विभागीय कार्यों) की जांच करने के लिए रिटर्न और संबंधित अनुलग्नकों तथा सूचनाओं को यथासंभव विभाग के बैकएंड वेब पोर्टल बैक-एंड सिस्टम के माध्यम से प्राप्त किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में विभाग के माध्यम से संबंधित वार्डों के माध्यम से चालान जैसे प्रासंगिक विस्तृत रिकॉर्ड तक पहुंच भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त, चयनित वार्डों में रिटर्न की जांच जैसे विभागीय गठन के अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा रिटर्न की जांच और करदाताओं के रिकॉर्ड के सत्यापन की समीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि को कवर किया गया, जबकि चयनित वार्डों के अनुपालन कार्यों की लेखापरीक्षा में 2017-21 की अवधि को कवर किया गया। लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया। फील्ड लेखापरीक्षा फरवरी-2022 से जनवरी-2023 तक आयोजित किया गया था।

इस लेखापरीक्षा का प्रवेश सम्मेलन फरवरी 2022 में विशेष आयुक्त (लेखापरीक्षा) के साथ आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। अप्रैल 2023 में अतिरिक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा) के साथ समापन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा ने यह भी बताया कि विभाग से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही थी और विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आश्वासन दिया गया था कि वह यथाशीघ्र उत्तर भेजने की व्यवस्था करेगा। तथापि, ये अभी भी प्रतीक्षित हैं (सितंबर 2024)।

1.3.4 लेखापरीक्षा नमूना

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस लेखापरीक्षा के नमूने में केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलन का एक सेट शामिल था जिसमें फील्ड विजिट शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें फील्ड विजिट और विभागीय परिसर में करदाताओं के रिकॉर्ड की जांच; और वार्डों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वार्डों का एक नमूना शामिल था।

इस लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

(i) भाग I - वार्डों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए मामलों के एक से अधिक चयनित नमूने पर अधिकार क्षेत्र वाले 10 वार्डों (12, 45, 58, 61, 62, 63, 65, 202, 205 और 206) को उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए वार्डों के नमूने के रूप में माना गया था।

(ii) भाग II - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा/सीमित लेखापरीक्षा

विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों के उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलन और रिटर्न के बीच विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना का चयन किया तदनुसार, इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 308 करदाताओं का चयन किया गया था।

(iii) भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए वार्डों के माध्यम से करदाताओं के रिकॉर्ड तक पहुंच बनाकर यह लेखापरीक्षा किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना अतिरिक्त आईटीसी, कर देयता बेमेल, कुल टर्नओवर के अनुपातहीन छूट वाले टर्नओवर और अनियमित आईटीसी रिवर्सल जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर चुना गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 47 करदाताओं[4] में बड़े, मध्यम और छोटे स्तर के करदाताओं के साथ-साथ यादृच्छिक रूप से चुने गए करदाता भी शामिल थे।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा, विस्तृत लेखापरीक्षा और इस लेखापरीक्षा के लिए चयनित वार्डों की लेखापरीक्षा के लिए नमूने का विवरण **अनुलग्नक 1.4** और **अनुलग्नक 1.5** में दिया गया है।

1.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में डीजीएसटी अधिनियम, 2017, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान **तालिका-1.3.1** में दिए गए हैं।

[4] नमूने में 28 बड़े, 14 मध्यम और 5 छोटे करदाता शामिल थे।

तालिका-1.3.1: मानदंड का स्रोत

क्र.सं.	विषय	अधिनियम एवं नियम
1	उदग्रहण तथा संग्रहण	डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3)
3	आईटीसी का लाभ उठाना और उसका उपयोग करना	डीजीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; डीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45।
4	पंजीकरण	डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 से 25; डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 से 26
5	आपूर्ति	डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 और 8, डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची I, II और III
6	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 से 13
7	आपूर्ति का समय	डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्यांकन	डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15; डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 27-34
9	कर का भुगतान	डीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; डीजीएसटी नियम 2017 के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	जीएसटी रिटर्न दाखिल करना	डीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; डीजीएसटी नियम, 2017 के अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81, डीजीएसटी नियम, 2017 का भाग बी रिटर्न का निर्धारित प्रारूप
11	जीरो-रेटेड आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16
12	आंकलन और लेखापरीक्षा कार्य	अध्याय XII और XIII के अंतर्गत धारा 61, 62, 65 और 66; डीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102

इसके अतिरिक्त, रिटर्न दाखिल करने से संबंधित विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, विभिन्न रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करना, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाना, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाना और उपयोग करना, रिटर्न की जांच और कर अनुपालन की निगरानी लेखापरीक्षा मानदंड का हिस्सा था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था:

ए. वार्डों की लेखापरीक्षा

बी. केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा

सी. विस्तृत लेखापरीक्षा

1.3.6 वार्डों की लेखापरीक्षा

रिटर्न एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विवरणों का एक विवरण है। प्रत्येक करदाता एक

निश्चित अवधि के लिए कर देनदारी और निर्धारित समय के भीतर भुगतान किए गए करों की विधिवत घोषणा करते हुए एक पूर्ण और सही रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने की निगरानी का महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि रिटर्न करदाताओं और उनकी संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

1.3.6.1 रिटर्न की जांच की धीमी गति/रिटर्न की जांच शुरू न होना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न रिटर्नों की उचित अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि रिटर्न की सत्यता की पुष्टि की जा सके और रिटर्न में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जा सके। इस प्रयोजन के लिए नामित उचित अधिकारी वार्ड अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त, डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि *"विसंगतियां, यदि कोई पाई जाती है तो करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचित किया जाएगा।"*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत उचित अधिकारियों द्वारा रिटर्न की जांच के लिए एक मैनुअल/एसओपी तैयार नहीं किया, इस प्रकार जोखिम मापदंडों के आधार पर जांच की जाने वाली रिटर्न को प्राथमिकता नहीं दी गई। तथापि, विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के रिटर्न की जांच के लिए अप्रैल 2022 में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।

(i) लेखापरीक्षा के लिए चयनित दस वार्डों में से सात[5] वार्डों ने रिटर्न की जांच से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की। तथापि, सात वार्डों से संबंधित विभाग के बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी और शेष तीन[6] वार्डों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन दस वार्डों में वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान क्रमशः 1,18,875, 1,49,350, 1,59,120 और 1,91,135 पंजीकृत करदाता थे जबकि रिटर्न की जांच केवल 14996

[5] वार्ड-12,45,58,61,62,63 और 65

[6] वार्ड-202, 205 एवं 206

मामलों में की गई थी, जो इंगित करता है कि पंजीकृत करदाताओं की संख्या की तुलना में बहुत कम रिटर्न की जांच की गई थी।

इसके अतिरिक्त, जांचे गए कुल 14,996 मामलों में से, 4,749 मामले अक्टूबर 2022 तक कार्रवाई के लिए लंबित थे। 541 से 1397 दिनों के बीच की देरी इंगित करती है कि रिटर्न की जांच के दौरान देखी गई विसंगतियों को डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से नहीं निपटाया जा रहा था। वार्ड 205 एवं 206 में, कोई भी प्रकरण कार्यवाही हेतु लंबित नहीं था।

(ii) जानकारी प्रदान करने वाले तीन वार्डों (202, 205 और 206) में, यह देखा गया कि 1628 मामलों में, 2017-18 से 2020-21 के दौरान एएसएमटी-10 में नोटिस जारी किया गया था। इन 1628 मामलों में से 240 मामलों में करदाताओं ने न तो एएसएमटी-11 में अपना उत्तर दाखिल किया और न ही विभाग ने कोई आगे की कार्रवाई की 809 मामलों में जहां करदाताओं ने एएसएमटी-11 में अपना उत्तर किया, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की अर्थात् संतोषजनक उत्तर के मामलों में एएसएमटी-12 जारी करना या असंतोषजनक उत्तर के मामलों में डीआरसी-01 जारी करना। साथ ही, 116 मामलों में जहां करदाताओं ने डीआरसी-01 के प्रतिक्रिया में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, विभाग ने उन करदाताओं (डीआरसी-07) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, 198 मामलों में, विभाग ने कार्यवाही पूरी की और ₹ 604.84 करोड़ की अंतिम मांग तैयार की, जिसमें से ₹ 581.91 करोड़ अभी भी लंबित थे। तथापि, राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। 235 मामलों में, डीआरसी-06 में संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ और 30 मामलों में, करदाताओं ने विसंगतियों को स्वीकार किया और तीन वार्डों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार मांग का भुगतान किया।

सिफ़ारिश: विभाग एसओपी के अनुसार रिटर्न की जांच में तेजी ला सकता है और उन मामलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है जिनकी जांच पूरी हो चुकी है लेकिन अभी भी कार्रवाई के लिए लंबित है तथा लंबित मांग के लिए वसूली शुरू की जा सकती है।

1.3.6.2 विभाग द्वारा लेखापरीक्षा में देरी

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति पर और इस तरह से लेखापरीक्षा कर सकता है जैसाकि निर्धारित किया गया है। डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) "लेखापरीक्षा" को घोषित टर्नओवर, भुगतान किए गए कर, दावा किए गए रिफंड और प्राप्त इनपुट किए गए टैक्स क्रैडिट की सत्यता को सत्यापित करने और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ उसके अनुपालन का आकलन करने के लिए उस समय लागू कोई अन्य नियमों के या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड, रिटर्न और अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण की जांच के रूप में परिभाषित करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए करदाताओं की सूची लेखापरीक्षा के लिए चयनित वार्डों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ मांगी गयी थी। तथापि, वार्ड अधिकारी द्वारा ऐसी कोई जानकारी/प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की गई थी (अप्रैल 2023)। इसके अतिरिक्त, डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 65 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए विभाग द्वारा किसी प्रक्रिया/दिशानिर्देशों की परिकल्पना की गई थी या नहीं, इससे संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

तथापि, विभाग की लेखापरीक्षा शाखा ने अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के कुल 251 करदाताओं की पहचान डीजीएआरएम द्वारा प्रदान की गई सूची से की गई थी और इन मामलों को विभिन्न उचित अधिकारियों को सौंपा गया था और चयनित करदाताओं में से, केवल 18 करदाताओं की लेखापरीक्षा की गई थी। चूंकि डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अंतर्गत विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के लिए चयनित और चिह्नित करदाताओं की सूची वार्डों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए लेखापरीक्षा यह जांच नहीं कर सका कि क्या विभाग

ने डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अंतर्गत करदाताओं की लेखापरीक्षा की गई थी या नही।

सिफ़ारिश: विभाग धारा 65 के अंतर्गत करदाताओं की लेखापरीक्षा आरंभ कर सकता है और लेखापरीक्षा करने के लिए मैनुअल/प्रक्रियाओं की भी परिकल्पना कर सकता है।

1.3.6.3 देर से दाखिल करने वालों और दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46, डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित, फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है, जिसमें करदाता द्वारा नियत तारीख के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर पंद्रह दिनों के भीतर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देनदारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं और फॉर्म एएसएमटी-13 में आकलन आदेश जारी कर सकते हैं।

रिटर्न दाखिल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तारीख एक ही होती है, जिसका अर्थ है रिटर्न दाखिल न करने वालों के मामले में कर/जुर्माने का भुगतान न करने का जोखिम।

(i) लेखापरीक्षा के लिए चुने गए दस वार्डों में से केवल तीन वार्डों (202, 205 और 206) ने जानकारी प्रस्तुत की। जानकारी के आधार पर, यह देखा गया कि 2018-19 से 2020-21 के दौरान तीन वार्डों के कर दाखिल न करने वालों को 620 मामलों में जीएसटीआर 3ए जारी किया गया। इन 620 मामलों में से, 561 मामलों में, करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए के जवाब में अपना रिटर्न दाखिल किया, जबकि 59 ने एएसएमटी-13 जारी करने के बाद अपना रिटर्न दाखिल किया।

(ii) शेष सात वार्डों[7] के वार्ड अधिकारियों ने देर से दाखिल करने वालों रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जैसे रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों और देर से दाखिल करने वालों की सूची, जिनके खिलाफ जीएसटीआर-3 ए नोटिस जारी किए गए, एएसएमटी-13 (सर्वोत्तम निर्णय आंकलन शुरू किया गया या वापस ले लिया गया), ऐसे मामले जहां एएसएमटी-13 की कार्यवाही लंबित है और ऐसे मामलों की संख्या जहां अनंतिम कुर्की को बहाल का सहारा लिया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने जीएसटी बैकएंड पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से देखा कि 47,967 मामलों में जुलाई-2017 से मार्च-2021 से संबंधित रिटर्न के लिए जीएसटीआर-3ए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह पता नहीं लगाया जा सका कि कितने करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए नोटिस प्राप्त करने के बाद अनुपालन किया और रिटर्न दाखिल किया, और वार्ड अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक रिकॉर्ड/जानकारी प्रस्तुत नहीं करने और विभाग के जीएसटी पोर्टल पर ऐसी जानकारी की अनुपलब्धता के कारण डीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत उपर्युक्त उल्लिखित मामलों में ऐसे नोटिस प्राप्त करने के बाद भी अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई आरंभ की गई।

सिफ़ारिश: विभाग देर से/रिटर्न दाखिल न करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर सकता है।

1.3.6.4 जीएसटीआर 10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार, जीएसटीआर-10-अंतिम रिटर्न, रद्द करने की प्रभावी तिथि या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी बाद में हो, उसके तीन महीने के भीतर दाखिल किया जाना है। जिन करदाताओं का पंजीकरण 30 सितंबर 2018 को या उससे पहले रद्द कर दिया गया है उनके लिए जीएसटीआर-10 प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 26 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना संख्या 58/2018 केंद्रिय कर के तहत 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई थी।

[7] वार्ड-12,45,58,61,62,63 और 65

डीजीएसटी नियम, 2017 के अनुसार, और जैसा कि परिपत्र संख्या 09/2020-जीएसटी दिनांक 27 जुलाई 2020 में निर्धारित है, जीएसटीआर-3ए करदाता को जारी किया जाना है, जहां जीएसटीआर 10 दाखिल नहीं किया गया है। यदि करदाता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भी अंतिम रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 के अंतर्गत फॉर्म एएसएमटी-13 में आकलन आदेश, डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 100 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, करदाता को धारा 29 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निर्धारित बकाया कर देनदारी के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाएगा (अर्थात् इनपुट के बराबर डेबिट आईटीसी, और स्टॉक या पूंजीगत वस्तुओं या आउटपुट टैक्स में रखे गए अर्ध-तैयार और तैयार माल में निहित इनपुट या ऐसे माल पर देय आउटपुट टैक्स जो भी अधिक हो)। यदि करदाता एएसएमटी-13, आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम रिटर्न दाखिल करता है, तो उक्त आदेश वापस ले लिया गया माना जाएगा। तथापि, ब्याज और विलंब शुल्क के भुगतान की देनदारी जारी रहेगी। यदि उक्त रिटर्न एएसएमटी-13 आदेश जारी होने से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर अधूरा रहता है, तो उचित अधिकारी धारा 78 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर सकता है और डीजीएसटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत वसूली कर सकता है।

लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि कुल निरस्त किए गए पंजीकरणों में से कितने करदाताओं ने डीजीएसटी अधिनियम-2017 की उपर्युक्त धारा के अनुपालन में अंतिम रिटर्न दाखिल किया, क्योंकि जानकारी, जीएसटीआर-10 के दाखिल न करने वालों पर पर की गई कार्रवाई से संबंधित है, निरस्तीकरण के मामलों में, धारा 62 उन मामलों की संख्या जहां निरस्त आकलन किए गए पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं, उन मामलों की संख्या जहां निरस्त पंजीकरणों के बदले नए पंजीकरण लिए गए हैं, वार्ड 45, 61, 62, 63 और 65 के वार्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, सीमित लेखापरीक्षा के अंतर्गत अनिर्धारित देनदारियां, जीएसटीआर-1 दाखिल किया गया लेकिन जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया गया, जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी बेमेल, रिटर्न के

बीच आईटीसी बेमेल, आरसीएम के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी आदि, विभाग को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए थे, इसके जवाब में विभाग ने कहा कि उसने पहले ही 39 करदाताओं का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन 39 निरस्त किए गए मामलों में, विभाग ने वसूली आदि शुरू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जब तक कि लेखापरीक्षा ने इन मामलों में प्रश्न जारी नहीं किए। इन 39 मामलों में से, विभाग ने 15 मामलों और 5 मामलों में क्रमशः ₹ 699 करोड़ और ₹ 2.01 करोड़ की राशि का डीआरसी 07/01 और एएसएमटी-10 जारी किया गया। 19 मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रश्न जारी होने के बाद भी ₹ 172.31 करोड़ की राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। इन मामलों का विवरण **अनुलग्नक 1.6** में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पांच वार्डों में 3,446 मामलों में जीएसटीआर-10 रिटर्न दाखिल न करने के रूप में अनुपालन कमियां देखीं, जहां संबंधित जानकारी प्रदान की गई थी, जैसा कि **अनुलग्नक 1.7** में बताया गया है।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

वार्ड-58 के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के 2,470 निरस्तीकरण प्रकरणों में से केवल 241 प्रकरणों में (केवल दस *प्रतिशत* प्रकरणों में) जीएसटीआर-10 दाखिल किया गया। शेष 90 *प्रतिशत* प्रकरणों में जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 में जो विभाग से मांगा गया उसका उत्तर (जून 2023) तक प्रतीक्षित था।

सिफारिशः जीएसटीआर-10 दाखिल न करने वालों पर विभाग अनुवर्ती कार्रवाई को मजबूत कर सकता है।

1.3.6.5 बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट/एमआईएस प्रतिवेदन पर कार्रवाई का अभाव

विभाग में एक बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) है, जो आवश्यक कार्रवाई करने या प्रतिवेदन को सत्यापित करने के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय (डीजीजीआई), सीजीएसटी निदेशालय दिल्ली, एनालिटिक्स और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) आदि से प्राप्त अलग-अलग

प्रतिवेदनों को विभिन्न वार्डों को उपलब्ध कराती है ताकि उन प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके या सत्यापित किया जा सके। बीआईयू से आवश्यक कार्रवाई के लिए चयनित वार्डों को भेजे गए 2017-21 की अवधि से संबंधित मामलों की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

तथापि, बीआईयू द्वारा ऐसी कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, चयनित वार्डों के वार्ड अधिकारियों से 2017-2021 की अवधि के लिए ऊपर उल्लिखित अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से प्राप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था। तथापि, चयनित वार्डों के वार्ड अधिकारियों ने बीआईयू/अन्य वैधानिक प्राधिकारियों अर्थात केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), डीजीजीआई, डीजीएआरएम, अन्य राज्य जीएसटी विभाग आदि से प्राप्त प्रतिवेदनों और उस पर की गई कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा उन प्रतिवेदनों पर विभाग और उसके ईकाईयों के द्वारा की गई कार्रवाई को सत्यापित नहीं कर सका।

1.3.7 जीएसटी रिटर्न में विसंगतियां-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा/सीमित लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी रिटर्न डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 14 मापदंडों के एक सेट पर की गई, जिन्हें मोटे तौर पर दो डोमेन में वर्गीकृत किया जा सकता है-इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान। 13 निर्धारित जीएसटी रिटर्न[8] में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल रिटर्न को जीएसटी रिटर्न/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था:

- जीएसटीआर-1: वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत

[8] जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कंपोजिशन योजना के अंतर्गत करदाता), जीएसटीआर-5 (गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (गैर-निवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर-7 (टीडीएस कटवाने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न), जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न), जीएसटीआर-11 (यूआईएन रखने वाला और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी-08, और आईटीसी-04 (जॉब-वर्कर को भेजे गए प्राप्त किए गए वस्तु के विवरण के बारे में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा भरी जाने वाली विवरण)

मासिक रिटर्न और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।

- जीएसटीआर-3बी: करदाता द्वारा कर के भुगतान के साथ-साथ दावा किए गए बाहरी आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश रिटर्न अधिनियम की धारा 39(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट होता है।
- जीएसटीआर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न जो उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- जीएसटीआर-8: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक रिटर्न, जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस (स्रोत पर कर एकत्रित कर) में कटौती करना आवश्यक है। अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया।
- जीएसटीआर-9: इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और गैर-निवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) के अंतर्गत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के साथ-साथ टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- जीएसटीआर-9सी: सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा जिसमें फॉर्म किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का टर्न ओवर होता है यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दाखिल वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित किए गए वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला विवरण है।
- जीएसटीआर-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम-जनरेटेड विवरण जिसमें फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित आपूर्तिकर्ताओं

के सभी बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन का विवरण, जीएसटीआर 6 से आईएसडी विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और भारतीय सीमा शुल्क के आईसीईजीएटीई पोर्टल से प्राप्त बिल ऑफ इन्ट्री पर विदेशों से वस्तुओं के आयात का विवरण शामिल है।

14 चिह्नित मापदंडों और देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना) पर दिल्ली राज्य के अधिकार क्षेत्र में भाग लेने वाले आंकड़ों का भारतीय विश्लेषण **तालिका 1.3.2** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.3.2: सीमित लेखापरीक्षा में 14 लेखापरीक्षा आयामों/मापदंड़ो का सारांश

क्र. सं.	मापदंड/आयाम	एल्गोरिथम का उपयोग किया गया	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच बेमेल आईटीसी	सभी संशोधनो के साथ जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-3बी {तालिका 4ए(5)} (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी, इसकी तालिका 4(बी)(2) में रिवर्सल पर विचार करते रही थी, लेकिन इसमें जीएसटीआर 9 की तालिका 8(सी) से अगले वर्ष 2018-19 में प्राप्त किए गए आईटीसी भी शामिल थी।	24	442.02
2	आरसीएम के अंतर्गत प्राप्त किए गए आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान	जीएसटीआर3बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी से की गई। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान, की तुलना में तालिका {4ए(2)+4ए(3)} में प्राप्त आईटीसी को जीएसटीआर 3बी के भीतर प्रतिबंधित किया गया था।	25	110.99
3	आरसीएम बनाम जीएसटीआर 3बी/ जीएसटीआर 9 में प्राप्त आईटीसी के अंतर्गत कर का कम भुगतान जीएसटीआर 9	जीएसटीआर 9 तालिका 4जी में घोषित आरसीएम देनदारी की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी से की गई। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर -3बी तालिका 3.1(डी) में आरसीएम देनदारी की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका {4(ए)(2)+4(ए)(3)} से की गई थी।	08	9.14
4	आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	जीएसटीआर-9 तालिका 6जी में प्राप्त आईएएसडी या प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर 3बी तालिका 4(ए)(4) की तुलना वितरक के जीएसटीआर 6 में हस्तांतरित आईटीसी के साथ की गई थी।	25	18.17
5	गलत आईएसडी क्रेडिट रिवर्सल	प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर 9 तालिका 7 बी/7 एच की तुलना उनके जीएसटीआर 6 के तालिका 8ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) और तालिका 9 ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) के योग से तुलना की गई।	4	0.01
6	वार्षिक रिटर्न और खाता बही लेखों के बीच प्राप्त आईटीसी का बेमेल	जीएसटीआर 9सी तालिका 12एफ में धनात्मक आंकड़ा	24	227.25

क्र. सं.	मापदंड/आयाम	एल्गोरिथम का उपयोग किया गया	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
7	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान	जीएसटीआर 9सी तालिका 14टी में धनात्मक आंकड़ा	24	1,680.92
8	जीएसटीआर 9सी में घोषित टर्नओवर में बेमेल (तालिका -5आर)	जीएसटीआर 9सी तालिका 5आर में ऋणात्मक आंकड़ा	20	1,39,983.30
9	जीएसटीआर 9सी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में बेमेल (तालिका- 7जी)	जीएसटीआर 9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा	17	1,389.04
10	खातों की लेखा बही और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर का मेल न खाना	जीएसटीआर 9सी तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा	25	82.29
11	अनिर्णित देनदारियां	जीएसटीआर 1 (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिका 4एन , 10 और 11) के बीच कर देयता की अधिकता की तुलना जीएसटीआर -3बी तालिका {3.1 (ए) + 3.1 (बी)} में कर भुगतान विवरण के साथ की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर-1 देनदारी से की गई थी। जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9 में घोषित संशोधन एवं अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	25	558.50
12	कंपोजिशन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं	टीसीएस प्रावधान प्रभावी होने पर ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8 01.01.2018 से प्रभावी हो गया। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	38	शून्य
13	जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है	वे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया था, लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया था या जहां जीएसटीआर-2ए उपलब्ध था, यह दर्शाता है कि करदाताओं ने कर का भुगतान किए बिना व्यवसाय किया था।	24	7.21
14	ब्याज का कम भुगतान	3 बी तालिका 6.1 में घोषित ब्याज की तुलना में -जीएसटीआर 3बी दाखिल करने में देरी पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 *प्रतिशत* की दर से ब्याज की गणना की गई।	25	19.12
		कुल	**308**	**1,44,527.96**

विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न किया जाना

वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्येक 14 मापदंडों में से मुख्य विचलन/असंगतियों में से 308 मामलों का एक नमूना का चयन किया गया। करदाताओं के रिकॉर्ड की आगे जांच किए बिना मार्च 2022 और अप्रैल 2022 के बीच संबंधित वार्डों को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए थे। इन मामलों में लेखापरीक्षा जांच पहचाने गए बेमेल विचलन बेमेल पर विभाग की कार्रवाई की पुष्टि करने तक ही सीमित थी।

विभाग को सूचित की गई 41 विसंगतियों (टर्नओवर में बेमेल से संबंधित 08 विसंगतियों सहित) के लिए मार्च 2023 तक प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुई थीं, जो देय कर में बेमेल या प्राप्त आईटीसी में बेमेल होने के मामलों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं और ₹ 38.06 करोड़ और ₹ 142.34 करोड़ का जोखिम पैदा कर सकती हैं। टर्नओवर में बेमेल से संबंधित आठ विसंगतियों से संबंधित (जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर और 7 जी में ₹ 790.80 करोड़ के टर्नओवर के बेमेल के कारण इसकी गणना टर्नओवर की बेमेल राशि पर 18 *प्रतिशत* कर मानकर की जाती है।

तालिका-1.3.3: वे मामले जिनमें उत्तर प्राप्त नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर नहीं मिला		प्रतिशतता	
		संख्या	बेमेल राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7
1	जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी बेमेल	24	442.02	0	0	0	0
2	आरसीएम के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान	25	110.99	4	7.27	16	6.55
3	आरसीएम के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम जीएसटीआर 3बी/ जीएसटीआर 9 में प्राप्त आईटीसी	8	9.14	1	1.00	12	10.93
4	आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	25	18.17	8	3.62	32	19.92
5	गलत आईएसडी क्रेडिट रिवर्सल	4	0.01	0	0	0	0
6	वार्षिक रिटर्न और खाता बही के बीच प्राप्त आईटीसी का बेमेल होना	24	227.25	3	11.53	12	5.06
7	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान	24	1680.92	0	0	0	0
8	जीएसटीआर 9सी (तालिका-5आर) में घोषित टर्नओवर का बेमेल होना	20	1,39,983.30	2	191.84	10	0.01
9	जीएसटीआर 9सी (तालिका-7जी) में घोषित कर योग्य टर्नओवर का बेमेल होना	17	1,389.04	6	598.98	35	43
10	खातों की पुस्तकों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर का बेमेल होना	25	82.29	6	14.24	24	17.81
11	अनिर्णित देनदारियां	25	558.50	0	0	0	0
12	कंपोजिशन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं	38	0	10	0	26	0
13	जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है	24	7.21	1	0.39	4	5.40
14	ब्याज का कम भुगतान	25	19.12	0	0	0	0
	कुल	**308**	**1,44,527.96**	**41**	**828.87**	**13.31**	**0.57**

यह ध्यान में रखते हुए कि विसंगतियों को अनुपालन विचलन में बदलने की समग्र दर महत्वपूर्ण है, जैसा कि अगले पैराग्राफ में बताया गया है, विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता थी। इन मामलों का विवरण **अनुलग्नक 1.8** में सूचीबद्ध है।

तालिका 1.3.4: धन मूल्य के संदर्भ में मुख्य दस मामले जहां प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुई है

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड/जोन	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXXX1जेड4	107/12	4.84
2	07XXXXXXXXXX1जेडएन	94	4.51
3	07XXXXXXXXXX1जेडटी	112/12	3.37
4	07XXXXXXXXXX1जेडएफ	70/4	3.30
5	07XXXXXXXXXX1जेडआर	201	3.26
6	07XXXXXXXXXX1जेडएक्स	85/9	2.29
7	07XXXXXXXXXX1जेड0	62/	1.88
8	07XXXXXXXXXX1जेडएस	4/1	1.79
9	07XXXXXXXXXX1जेडओ	61/05	1.73
10	07XXXXXXXXXX1जेडके	95/08	1.56

सिफ़ारिश: विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए विसंगतियों और विचलनों के 41 मामलों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके लिए प्रतिक्रियाएँ प्रदान नहीं की गई हैं तथा परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित करना चाहिए।

1.3.7.1 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुपालन विचलन में अनुवादित 14 मापदंडों में से प्रत्येक की सीमा को **तालिका-1.3.5** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका-1.3.5: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	जिन मामलों में उत्तर प्राप्त हुआ		लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया विभाग का उत्तर					
			डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी का बेमेल होना	24	442.02	8	184.65	3	27.86	0	0
आरसीएम के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान	21	103.72	6	29.95	0	0	0	0
आरसीएम के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में प्राप्त आईटीसी	7	8.14	2	2.31	0	0	0	0
आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	17	14.55	9	10.12	0	0	1	1.12
गलत आईएसडी क्रेडिट रिवर्सल	4	0.01	0	0	0	0	0	0
वार्षिक रिटर्न और खाता बही के बीच प्राप्त आईटीसी का बेमेल होना	21	215.73	2	42.3	5	36.31	6	39.61
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान	24	1680.92	1	37.12	0	0	22	1598.63
जीएसटीआर 9सी (तालिका-5आर) में घोषित टर्नओवर का बेमेल होना	18	139791.47	0	0	0	0	11	135850.34
जीएसटीआर 9सी (तालिका- 7जी) में घोषित कर योग्य टर्नओवर का बेमेल होना	11	790.07	0	0	0	0	6	469.66
खाता बही और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर का बेमेल होना	19	68.06	3	18.04	0	0	10	35.46
अनिर्णित देनदारियां	25	558.50	1	23.90	3	117.06	0	0
कंपोजिशन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं	28	0	0	0	3	0	13	0.00
जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है	23	6.82	0	0	10	3.33	0	0.00
ब्याज का कम भुगतान	25	19.12	0	0	1	0.67	0	0.00
कुल	**267**	**143699.13**	**32**	**348.39**	**25**	**185.23**	**69**	**137995.03**

(जारी...)

अनुपालन विचलन															
विभाग द्वारा स्वीकृत उन मामलों सहित जहां कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है								लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खण्डन)		कुल		विभाग का उत्तर उचित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया		विभाग ने कहा कि वे ए क्यू की जांच कर रहे हैं	
वसूली		एससीएन जारी किया गया		एएसएमटी-10		करदाता के साथ पत्राचार के अंतर्गत									
सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	5	271.91	2	24.47	0	0	6	63.22	13	359.60	0	0	0	0
0	0	3	36.68	2	14.36	0	0	9	46.54	14	97.58	1	1.36	0	0
0	0	1	3.36	1	1.21	0	0	1	1.31	3	5.88	1	1.14	0	0
0	0	4	5.33	2	1.43	0	0	1	0.72	7	7.48	1	0.37	0	0
1	0.00002	0	0	1	0.004	0	0	2	0.014	4	0.018	0	0	0	0
0	0.00	1	8.67	6	81.82	1	11.14	0	0	8	101.63	0	0	0	0
0	0	0	0	1	45.17	0	0	0	0	1	45.17	0	0	0	0
0	0	1	309.26	6	2801.18	0	0	0	0	7	3110.44	0	0	0	0
0	0	0	0	4	254.49	0	0	0	0	4	254.49	1	65.92	0	0
1	0.16	0	0	5	12.96	0	0	0	0	6	13.12	0	0	0	0
0	0	10	767.43	2	99.75	0	0	9	165.17	21	1032.35	0	0	0	0
0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	12	0	0	0	0	0
0	0	5	3.31	7	2.55	0	0	1	0.16	13	6.02	0	0	0	0
1	0.73	10	7.00	7	4.97	5	4.66	1	0.52	24	17.88	0	0	0	0
3	**0.89**	**40**	**1412.95**	**52**	**3344.36**	**12**	**15.80**	**30**	**277.66**	**137**	**5051.66**	**4**	**68.79**	**0.00**	**0.00**

उपर्युक्त तालिका में 'वसूली' और 'जारी एससीएन' श्रेणी के अंतर्गत की गई राशि, लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि पर ध्यान दिए बिना विभाग द्वारा की गई वसूली और जारी एससीएन की राशि के अनुसार है।

केंद्रीय लेखापरीक्षा/सीमित लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने 137 मामलों में तालिका-1.3.5 के (कॉलम सं. 10,12,14,16,18) अधिनियम के प्रावधानों से विचलन पाया, जिसमें ₹ 1995.99 करोड़ के कर की कम वसूली के 127 मामले और ₹ 3055.67 करोड़ के टर्नओवर के बेमेल के 10 मामले (तालिका 1.3.5 के कॉलम सं. 11, 13, 15, 17 और 19) शामिल हैं जो की डेटा में 267 विसंगतियों/बेमेल का 51 *प्रतिशत* है, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं। जोखिम मापदंडों जैसे कि ब्याज का कम/गैर-भुगतान, आईटीसी बेमेल, अतिरिक्त आरसीएम आईटीसी का लाभ, गलत टर्नओवर घोषणाएं और कम कर भुगतान आदि में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

126 मामलों में (तालिका-1.3.5 के कॉलम सं. 4, 6 और 8), जो 47 *प्रतिशत* हैं, जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य था, करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों में 32 मामले (कॉलम सं. 4) शामिल थे, विभाग ने 25 मामलों (कॉलम सं. 6) में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और 69 मामलों (कॉलम सं. 8) में वैध स्पष्टीकरण दिए थे।

4 मामलों (कॉलम संख्या 22) में, विभाग ने लेखापरीक्षा को उचित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए और इसलिए वे सत्यापन योग्य नहीं थे।

तालिका 1.3.6: सीमित लेखापरीक्षा के प्रत्येक आयाम के लिए मुख्य मामला (वसूली के मामलों से संबंधित अनुपालन विचलन के लिए, एएसएमटी-10, जारी एससीएन और करदाता के साथ पत्राचार के अंतर्गत)

क्र.सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	बेमेल (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
1	जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी का बेमेल होना	07XXXXXXXX XX1जेडओ	74	7	132.55	फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 दिनांक 12.09.2022 जिसमें बकाया कर की मांग जारी की गई
2	आरसीएम के तहत प्राप्त आइटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान	07XXXXXXXX XX1जेडएम	41	3	10.06	डीआरसी-01 दिनांक 07.07.2022 एवं डीआरसी-07 दिनांक 26.07.2022 और बैंक कुर्की
3	आरसीएम के तहत कर का कम भुगतान बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में प्राप्त आईटीटीसी	07XXXXXXXX XX1जेडक्यू	93	8	2.31	डीआरसी 01 दिनांक 01.09.2022 जारी किया गया
4	आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना	07XXXXXXXX XX1जेड5	75	7	2.65	डीआरसी-01ए दिनांक 01.08.2022 जारी किया गया।
5	गलत आईएसडी क्रेडिट रिवर्सल	07XXXXXXXX XX1जेडएक्स	2	2	0.004	करदाता को जारी किया गया। एएसएमटी-10 दिनांक 03.08.2022
6	वार्षिक रिटर्न खाता बही के बीच प्राप्त आईटीसी का बेमेल होना	07XXXXXXXX XX1जेड8	61	5	61.32	करदाता को जारी किया गया। एएसएमटी10 दिनांक 14.12.2022
7	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान	07XXXXXXXX XX1जेड9	71	6	45.17	करदाता को जारी किया गया। एएसएमटी 10 दिनांक 25.11.2022
8	जीएसटीआर 9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में बेमेल होना	07XXXXXXXX XX1जेडजे	84	7	309.26	डीआरसी-01 दिनांक 10.12.2022 जारी किया गया

क्र.सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	बेमेल (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
9	जीएसटीआर 9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में बेमेल होना	07XXXXXXXXXX1जेड1	76	7	84.87	करदाता को जारी किया गया। एएसएमटी 10 दिनांक 24.11.2022
10	खाता बही और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर का बेमेल होना	07XXXXXXXXXX1जेडएच	71	6	3.52	करदाता को जारी किया गया। एएसएमटी 10 दिनांक 25.11.2022
11	अनिर्णित देनदारियां	07XXXXXXXXXX1जेड3	32	1	205.06	डीआरसी 01 दिनांक 08.07.2022 एवं डीआरसी 07 दिनांक 03.10.2022 जारी किये गये।
12	कंपोजिशन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं	07XXXXXXXXXX1जेड7	78	7	लागू नहीं	करदाता को जारी किया गया। एएसएमटी-10 दिनांक 25.11.2022
13	जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है	07XXXXXXXXXX1जेडजेड	12	2	1.54	करदाता को जारी किया गया डीआरसी -07 दिनांक 31.10.2022
14	ब्याज का कम भुगतान	07XXXXXXXXXX1जेड3	88	8	1.16	करदाता को डीआरसी-01 दिनांक 04.08.2022 जारी किया गया।

उदाहरणात्मक मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) आयाम - जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी का मेल न होना

जीएसटीआर 2ए खरीद से संबंधित सक्रिय या परिवर्तनशील कर रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर 3बी एक मासिक रिटर्न है जिसमें घोषित आईटीसी के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश और करदाता द्वारा स्व-घोषित कर का भुगतान शामिल होता है।

आईटीसी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी का करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना उसके सभी संशोधनों और तालिका 4बी (2)[9] में रिवर्सल पर विचार करते हुए तालिका

[9] रिवर्स की गई अन्य आईटीसी

4ए (5)[10] में जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी से करना था लेकिन 2017-18 के जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से बाद के वर्ष 2018-19 में प्राप्त आईटीसी को भी इसमें शामिल करना था।

वार्ड 74 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेडओ) के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ शून्य थी और जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 23.15 करोड़ थी (जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से अगले वर्ष 2018-19 में प्राप्त ₹ शून्य आईटीसी सहित)। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी की राशि ₹ 23.15 करोड़ बेमेल हो गई, जिसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)।

जवाब में, विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि करदाता को ₹ 132.55 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला डीआरसी-07 (सितंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी (जून 2023)।

(ii) आयाम - आरसीएम के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत कुछ श्रेणियों के वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है।

जीएसटीआर-9 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न है, जो एसईजेड इकाइयों और एसईजेड डेवलपर्स सहित नियमित करदाता थे। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए रिफंड या सृजित मांग आदि का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए,

[10] अन्य सभी पात्र आईटीसी

जीएसटीआर 3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जांचने के लिए की गई थी कि क्या आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित थी। अपनाई गई कार्यप्रणाली जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1(डी)[11] में आरसीएम भुगतान की जीएसटीआर 9 तालिका 6सी[12], 6डी[13] और 6एफ[14] में प्राप्त आईटीसी के साथ तुलना करना था। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जांच को जीएसटीआर 3बी के भीतर सीमित कर दिया गया था, जहां जीएसटी आर3बी तालिका 3.1 (डी) में कर छूट वाले हिस्से की तुलना जीएसटी आर3बी 4ए (2)[15] और 4ए (3)[16] के आईटीसी लाभ वाले हिस्से से की गई थी।

वार्ड 41 के तहत करदाता (07XXXXXXXXXX1जेड) के मामले में लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में उपलब्ध आईटीसी शून्य थी और जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (2) और (3) में प्राप्त आईटीसी ₹ 3.77 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी का बेमेल ₹ 3.77 करोड़ हो गया जिसकी सूचना विभाग को दी गई (मार्च 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (अगस्त 2022) कि करदाता को ₹ 10.06 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला डीआरसी-07 (जुलाई 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून, 2023)।

(iii) आयाम - आरसीएम के अंतर्गत कर का कम भुगतान बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में प्राप्त आईटीसी

वर्ष 2017-18 के लिए समतुल्य कर देनदारी का निर्वहन किए बिना आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने की सीमा, या दूसरे शब्दों में, आरसीएम के अंतर्गत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर 3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 से संबंधित डेटासेट की तुलना करके यह जांचने के लिए किया गया था कि क्या आरसीएम के अंतर्गत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का

---

[11] आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)

[12] आवक आपूर्ति पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त होती है जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है।

[13] रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

[14] सेवाओं का आयात

[15] सेवाओं का आयात

[16] आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

पूरा भुगतान किया गया है या नहीं। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर 9 दाखिल किया गया था, तालिका 4जी[17] में आरसीएम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1(डी)[18] में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 3बी 4(ए)(2)[19] और 4ए(3)[20] से की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड 93 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडक्यू) के मामले में, जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान ₹ 0.03 करोड़ था (जीएसटीआर 3बी भी ₹ 0.03 करोड़ का आरसीएम भुगतान दिखाता है) और जीएसटीआर 9 की तालिक 6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी ₹ 1.08 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान किए बिना आरसीएम पर ₹ 1.05 करोड़ की आईटीसी का अतिरिक्त लाभ उठाया गया, जिसकी सूचना विभाग को दी गई (अप्रैल 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि करदाताओं को ₹ 2.31 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला डीआरसी-01 (सितंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(iv) आयाम - आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से अधिक है, करदाता के रिटर्न में घोषित प्राप्त आईटीसी की तुलना आईएसडी द्वारा उनके जीएसटीआर 6 में हस्तांतरित आईटीसी से की जाती है। अपनाई गई कार्यप्रणाली इस राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी[21] या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)(4)[22] की तुलना संबंधित आईएसडी

---

17 आवक आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना है।

18 आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

19 सेवाओं का आयात

20 वस्तुओं और सेवाओं के आयात के अलावा आवक आपूर्ति रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है।

21 आईएसडी से प्राप्त आईटीसी

22 आईएसडी से आवक आपूर्ति

की जीएसटीआर 6 की तालिका 5ए[23], तालिका 8ए[24]और तालिका 9ए[25] के योग से की जानी थी।

वार्ड 75 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेड5) के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 6जी में प्राप्त आईटीसी ₹ 0.89 करोड़ थी और आईएसडी द्वारा जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में हस्तांतरित आईटीसी शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी का अतिरिक्त लाभ उठाया गया ₹ 0.89 करोड़ का जिसकी सूचना विभाग को में दी गई थी (मई 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2022) कि करदाताओं को ₹ 2.65 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला डीआरसी-01ए (अगस्त 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(v) आयाम - वार्षिक रिटर्न और खाता बही के बीच प्राप्त आईटीसी का बेमेल होना

जीएसटीआर 9सी की तालिका 12 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर9) में घोषित आईटीसी का मिलान लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या खाता बही के अनुसार प्राप्त आईटीसी से करती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ अपरिष्कृत आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9सी फॉर्म में डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वार्ड 61 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेड8) के मामले में, जीएसटीआर 9सी की तालिका 12 एफ में घोषित ₹ 61.32 करोड़ का अपरिष्कृत आईटीसी, जो कि वित्तीय विवरणों के आधार पर पात्र आईटीसी से

[23] कर अवधि के लिए पात्र आईटीसी की राशि का वितरण।

[24] पुनः प्राप्त और वितरित आईटीसी का बेमेल होना।

[25] गलत प्राप्तकर्ता को वितरित आईटीसी का पुनर्वितरण।

अधिक जीएसटी रिटर्न में प्राप्त आईटीसी है पर ध्यान दिया गया और विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि एएसएमटी-10 (दिसंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(vi) आयाम - वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान

जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या खाता बही के अनुसार व्यय पर प्राप्त आईटीसी के साथ मिलाती है। इस तालिका का कॉलम 14टी असमायोजित आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9सी में डीजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण वित्तीय विवरण में बताए गए व्यय सहित वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वार्ड 71 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेड9) के मामले में, वित्तीय विवरणों में बताए गए व्यय के आधार पर पात्र आईटीसी से अधिक जीएसटी रिटर्न में प्राप्त आईटीसी होने से जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 45.17 करोड़ की अपरिष्कृत आईटीसी, देखा गया और विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2022) कि एएसएमटी-10 (नवंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(vii) आयाम - जीएसटीआर 9सी (तालिका 5आर) में घोषित टर्नओवर में बेमेल

जीएसटीआर 9 सी की तालिका 5 लेखापरीक्षित वार्षिक टर्नओवर (जीएसटीआर 9) में घोषित टर्नओवर के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 5आर वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए असंगत टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9सी में डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा आवश्यक प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण में बताए गए टर्नओवर में बताए गए बेमेल की समीक्षा की जा सके। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है, उनमें गैर-समायोजित राशि गैर-रिपोर्टिंग, अंडर-रिपोर्टिंग, कम-रिपोर्टिंग, चूक, आपूर्ति की सूचना देने में त्रुटि जिससे कर की चोरी या कम भुगतान होता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की सूचना न देने का मामला भी हो सकता है।

वार्ड 84 के अंतर्गत सिंटेक्स प्रिफेब एंड इन्फ्रा लिमिटेड करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेडजे) के संबंध में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में ₹ 1,139.75 करोड़ की राशि की असमायोजित टर्नओवर पर लेखापरीक्षा प्रश्न जारी की गई थी और विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि करदाता को ₹ 309.26 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला डीआरसी-01 (दिसंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(viii) आयाम - जीएसटीआर 9सी (तालिका 7जी) में घोषित कर योग्य टर्नओवर में बेमेल

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 7जी वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए टर्नओवर के बीच गैर-समायोजित कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9सी में डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डेटा स्त्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक रिटर्न वित्तीय विवरण में बताए गए कर योग्य टर्नओवर में पहचाने गए बेमेल की समीक्षा की जा सके जिन मामलों में असमायोजित राशि जहां जीएसटीआर 9 में टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है, उनमें गैर-समायोजित राशि गैर-रिपोर्टिंग,

अंडर-रिपोर्टिंग, कम-रिपोर्टिंग, चूक, कर योग्य आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की गैर-रिपोर्टिंग के कारण भी हो सकता है।

वार्ड 76 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेड1) के संबंध में जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में ₹ 84.87 करोड़ की राशि के गैर-निर्वहन कर योग्य टर्नओवर पर एक लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किया गया तथा विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2022) कि एएसएमटी 10 (नवंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(ix) आयाम - खाता बही और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल

वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9सी में डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा आवश्यक प्रस्तुत प्रमाणित समाधान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक रिटर्न और खाता बही के बीच भुगतान किए गए कर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके। फॉर्म 9सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर के अनुसार अलग करके और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 के अनुसार चुकाए गए कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करने का प्रयास किया गया है। असमायोजित राशि संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर को छूट के रूप में गलत तरीके से दर्शाने या इसके विपरीत या सीजीएसटी/डीजीएसटी/आईजीएसटी की गलत वसूली का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनमें 2017-18 लेनदेन के संबंध में अप्रैल से सितंबर 2018 तक अगले वर्ष में किए गए संशोधनों (डेबिट नोट्स/क्रेडिट नोट्स का निवल) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर कम कर दिया जाता है। परिणामी ब्याज भुगतान - कम भुगतान और गलत मदों के अंतर्गत भुगतान दोनों का- इस संबंध में भी जांच की जानी चाहिए।

वार्ड 71 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेडएच) के मामले में जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में घोषित कर का असमायोजित भुगतान राशि ₹ 3.52 करोड़ की सूचना विभाग को दी गई (अप्रैल 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2022) कि एएसएमटी 10 (नवंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(x) आयाम - अनिर्णित देनदारियां

जीएसटीआर I वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का मासिक विवरण दर्शाता है। इस विवरण का भी करदाता द्वारा आकलन किया जाता है और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 में संबंधित कॉलम में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, कर योग्य मूल्य और उस पर किया गया कर भुगतान भी जीएसटीआर 3बी में दिखाया जाता है।

गैर-निर्वहन कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 से प्रासंगिक डेटा निकाला गया और इन रिटर्न में देय कर की तुलना जीएसटीआर 9 में घोषित भुगतान किए गए कर से की गई। जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, वहां जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच देय कर की तुलना की गयी। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर 1 और 9 में घोषित संशोधन और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया।

एल्गोरिदम के लिए, जीएसटीआर 1 की तालिका 4 से 11 और जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच अधिक कर देनदारी की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गई थी। जीएसटीआर 3बी के मामले में, तालिका 3.1(ए)[26]और 3.1(बी)[27] को ध्यान में रखा गया।

वार्ड 32 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेड3) के मामले में, जीएसटीआर 1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 42.81 करोड़ था और जीएसटीआर 9 के अनुसार दर्शाई गई देयता ₹ शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 42.81 करोड़ की कर देनदारी बेमेल हो गई, जिसकी सूचना विभाग को दी गई (अप्रैल 2022)।

---

[26] जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड के अतिरिक्त, शून्य रेटेड और छूट प्राप्त)।

[27] जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि करदाताओं को ₹ 205.06 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला डीआरसी-07 (अक्टूबर 2022) जारी किए गए थे। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(xi) आयाम - जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है

डेटा स्तर पर, यह पहचान की गई है कि वे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर 1 दाखिल किया है या जिनका जीएसटीआर 2ए वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध था। जीएसटीआर 3बी रिटर्न एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से देनदारी की भरपाई की जाती है और आईटीसी का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर3बी दाखिल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया है।

जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी में प्रासंगिक क्षेत्रों से संबंधित डेटासैट का विश्लेषण किया गया, और उन मामलों को निकाला गया जहां जीएसटीआर 3बी शून्य है (रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है)। इन करदाताओं ने वर्ष 2017-18 में एक भी जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया।

वार्ड 12 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन- 07XXXXXXXXX1जेडजेड) के मामले में ₹ 0.13 करोड़ की राशि के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच देयता बेमेल पर लेखापरीक्षा प्रश्न विभाग को भेजी गई थी (मार्च 2022)। 2017-18 में जारी चालान से संबंधित बाद के वर्षों में किए गए संशोधनों सहित जीएसटीआर 1 में करदाता द्वारा घोषित देनदारी ₹ 0.13 करोड़ है।

उत्तर में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2022) कि करदाता को ₹ 1.54 करोड़ की मांग निर्धारण करने वाला डीआरसी-07 (अक्टूबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(xii) आयाम - ब्याज का कम भुगतान

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार

कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

2017-18 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर 3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज की गणना के लिए केवल शुद्ध कर देनदारी (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

वार्ड 88 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन- 07XXXXXXXXX1जेड3) के मामले में, जीएसटीआर 3बी देर से दाखिल करने के कारण ₹ 1.16 करोड़ की ब्याज का कम भुगतान हुआ था, जिसे विभाग को सूचित किया गया था (अप्रैल 2022)।

उत्तर में, विभाग ने कहा (अगस्त 2022) कि डीआरसी-01 जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

1.3.7.2 कारणात्मक कारकों का विश्लेषण

308 डेटा विचलन/असंगतियों के नमूने में से 267 मामलों पर विभाग की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, डेटा विचलन/असंगतियों के कारण होने वाले कारक इस प्रकार हैं:

ए. जीएसटी कानून और नियमों से विचलन

(I) ऐसे मामले जहां विभाग ने आपत्ति स्वीकार कर ली

तालिका 1.3.5 में संक्षेपित 267 विचलनों में से, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रश्नों को स्वीकार कर लिया है और (कॉलम 10 से 15) 85 मामलों में ₹ 1702.53 करोड़ के कर प्रभाव और 10 मामलों में ₹ 3055.67 करोड़ के टर्नओवर में बेमेल से संबंधित जांच शुरू कर दी है। इन मामलों में से, विभाग ने 3 मामलों **(अनुलग्नक 1.9)** में ₹ 0.89 करोड़ की वसूली की है, 40 मामलों **(अनुलग्नक 1.10)** में ₹ 1412.98 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया है, 42 मामलों **(अनुलग्नक 1.11)** में ₹ 288.69 करोड़ के लिए करदाता को फॉर्म एएसएमटी-10 में विसंगतियों के बारे में नोटिस जारी किया है और 10 मामलों

में क्रमशः ₹ 3055.67 करोड़ के टर्नओवर में बेमेल है। इसके अतिरिक्त, विभाग 12 करदाताओं **(अनुलग्नक 1.12)** के साथ पत्राचार कर रहा था जिसमें ₹ 15.80 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

शीर्ष पांच स्वीकृत मामले **तालिका-1.3.7** में दर्शाए गए हैं।

तालिका-1.3.7 स्वीकृत शीर्ष पांच मामले या विभाग द्वारा शुरू की गई कार्रवाई

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	आयाम	कर (₹ करोड़ में)	की गई कार्रवाई
1	07XXXXXXXXX1जेडजे	84	8	309.26	डीआरसी-01 दिनांक 10.12.2022 जारी किया गया
2	07XXXXXXXXX1जेड3	32	11	205.06	करदाता को डीआरसी 07 दिनांक 03.10.2022 जारी किया गया।
3	07XXXXXXXXX1जेडओ	74	1	132.55	फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 दिनांक 12-09-2022 कर बकाया की मांग जारी की
4	07XXXXXXXXX1जेड3	32	11	125.00	डीआरसी 07 दिनांक 03.10.2022 जारी किया गया
5	07XXXXXXXXX1जेड8	16	11	80.41	डीआरसी 07 दिनांक 22.09.2022 जारी किया गया

(i) वार्ड 84 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेडजे) के संबंध में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में ₹ 1139.75 करोड़ की राशि का असमाधान टर्नओवर देखा गया और विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)। उत्तर में, विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि करदाता को ₹ 309.26 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला एससीएन (डीआरसी-01) दिनांक 10.12.2022 जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(ii) वार्ड 32 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन 07XXXXXXXXX1जेड3) के संबंध में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच तुलना से उत्पन्न होने वाली गैर-निर्वहन कर देनदारी पर ₹ 42.81 करोड़ का कम भुगतान देखा गया और विभाग को सूचित किया गया (सितंबर 2022)। उत्तर में विभाग ने बताया कि 205.06 करोड़ की राशि का डीआरसी 07 (अक्टूबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(iii) वार्ड 74 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेडओ) के संबंध में ₹ 23.15 करोड़ की प्राप्त आईटीसी का बेमेल देखा गया और विभाग को सूचित किया गया (सितंबर 2022)। उत्तर में, विभाग ने कहा (दिसंबर 2022) कि करदाता को ₹ 132.55 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाला डीआरसी-07 (सितंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(iv) वार्ड 32 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेड3) के संबंध में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच तुलना से उत्पन्न होने वाली ₹ 26.16 करोड़ की गैर-निर्वहन कर देनदारी पर कम भुगतान देखा गया और विभाग को सूचित किया गया (सितंबर 2022)। उत्तर में विभाग ने बताया कि ₹ 125 करोड़ की राशि का डीआरसी 07 (अक्टूबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

(v) वार्ड 16 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेड8) के संबंध में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच तुलना से उत्पन्न होने वाली ₹ 12.35 करोड़ की गैर-निर्वहन कर देनदारी पर कम भुगतान देखा गया और विभाग को सूचित किया गया (सितंबर 2022)। जवाब में विभाग ने बताया कि ₹ 80.41 करोड़ की राशि का डीआरसी 07 (सितंबर 2022) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी (जून 2023)।

(II) ऐसे मामले जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है

308 गैर-अनुपालन मामलों में से, विभाग ने ₹ 277.76 करोड़ की राशि के 30 मामलों में आपत्तियां स्वीकार नहीं कीं। इन मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा प्रश्नों पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी किए बिना केवल करदाताओं के स्पष्टीकरण अग्रेषित किए। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ इन मामलों का विवरण **अनुलग्नक 1.13** में दिया गया है।

उदाहरण सहित पांच मामले नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

तालिका-1.3.8: धन मूल्य के संदर्भ में शीर्ष पांच मामले जहां विभाग के जवाब का खंडन किया गया था

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	क्षेत्र	आयाम	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)
1	07XXXXXXXXX1जेड7	97	9	11	31.41
2	07XXXXXXXXX1जेडक्यू	97	9	11	24.64
3	07XXXXXXXXX1जेड5	10	2	11	21.64
4	07XXXXXXXXX1जेडएक्स	29	1	11	17.81
5	07XXXXXXXXX1जेड2	28	1	11	15.36

i. वार्ड 97 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेड7) के मामले में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच ₹ 31.41 करोड़ की कर देनदारी बेमेल देखी गई, जिसे विभाग को सूचित किया गया (सितंबर 2022)। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर (मई 2022) स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कर देयता बेमेल से संबंधित नहीं था। इसे दोबारा बताए जाने पर (मार्च 2023), इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की गई (जून 2023)।

ii. वार्ड 97 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेडक्यू) के मामले में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच ₹ 24.64 करोड़ रुपये की कर देनदारी बेमेल देखी गई। जिसकी सूचना विभाग को दी गई (सितंबर 2022)। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर (मई 2022) स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कर देयता बेमेल से संबंधित नहीं था। इसे दोबारा बताए जाने पर (मार्च 2023), इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की गई (जून 2023)।

iii. वार्ड 10 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन- 07XXXXXXXXX1जेड5) के मामले में ₹ 21.64 करोड़ की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच कर देनदारी बेमेल देखी गई, जिसे विभाग को सूचित किया गया (सितंबर 2022)। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर (दिसंबर 2022) स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कर देयता विसंगति से संबंधित नहीं था। इसे दोबारा बताए जाने पर (मार्च 2023), इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की गई (जून 2023)।

iv. वार्ड 29 के अंतर्गत करदाता, (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेडएक्स) के मामले में ₹ 17.81 करोड़ की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच कर देनदारी बेमेल देखी गई, जिसे विभाग को सूचित किया गया (सितंबर 2022)। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर (सितंबर 2022) स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कर देयता बेमेल से संबंधित नहीं था। इसे दोबारा बताए जाने पर (मार्च 2023), इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की गई (जून 2023)।

v. वार्ड 28 के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेड2) के मामले में ₹ 15.36 करोड़ की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच कर देनदारी बेमेल देखी गई, जिसे विभाग को सूचित किया गया (सितंबर 2022)। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर (मई 2022) स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह कर देयता बेमेल से संबंधित नहीं था। इसे दोबारा बताए जाने पर (मार्च 2023), इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की गई (जून 2023)।

ख. करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियां

डेटा प्रविष्टि त्रुटियां कुल प्राप्त प्रतिक्रियाओं में से 11 *प्रतिशत* (267 मामलों में से 32 मामले) थीं और 25 *प्रतिशत* मामले जहां विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ आरसीएम, आईएसडी और भुगतान किए गए कर (जीएसटीआर 9सी में प्रदान की गई) से संबंधित हैं जैसा कि **अनुलग्नक 1.14** में बताया गया है। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

वार्ड 207 (जोन-11) के अंतर्गत करदाता मेसर्स कार्गो मोटर्स (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड ((07XXXXXXXXX1जेडओ) के 2017-18 की अवधि के लिए जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर-3बी रिटर्न के बीच कर देनदारी बेमेल के रूप में ₹ 64.92 करोड़ की राशि के विचलन की पहचान की गई। विभाग को सूचित किया गया (मार्च 2022)। विभाग का उत्तर प्राप्त होने पर यह देखा गया कि विचलन मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण हुआ है। करदाता के उत्तर के आधार पर, विभाग द्वारा करदाता को धारा 73/74 के अंतर्गत कार्यवाही को समाप्त करने

के लिए आदेश संदर्भ संख्या जेडडी070722011764आई दिनांक 22 जुलाई 2022 जारी किया गया है, सिस्टम ने ऐसी डेटा प्रविष्टि त्रुटियों की अनुमति दी है, जिन्हें उचित तरीके से सत्यापन नियंत्रण के साथ टाला जा सकता था।

सी. लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पहले की गई कार्रवाई

जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.3.5 में संक्षेप में बताया गया है, विभाग पहले ही 25 मामलों **(अनुलग्नक 1.15),** प्राप्त 267 प्रतिक्रियाओं में से 9 *प्रतिशत,* में कार्रवाई कर चुका है।

डी. अन्य वैध स्पष्टीकरण

जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.3.5 (कॉलम संख्या 8) में बताया गया है कि 69 मामलों में विभाग ने वैध स्पष्टीकरण दिए थे जिन्हें (**अनुलग्नक 1.16)** में दिखाए गए हैं।

ई. उचित साक्ष्य के बिना विभाग का जवाब

उपरोक्त तालिका-1.3.5 के कॉलम संख्या 22 में बताया गया है कि 4 मामलों **(अनुलग्नक 1.17)** में विभाग ने लेखापरीक्षा को उचित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए और इस प्रकार सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

सिफ़ारिश: विभाग डेटा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जांच की सुविधा के लिए जीएसटी रिटर्न में सत्यापन नियंत्रण शुरू करने पर विचार कर सकता है।

1.3.7.3 जीएसटी रिटर्न का विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना और रखरखाव करना है। कर प्रशासन के लिए संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, कानून का अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक होता है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाहरी लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, अखिल भारतीय डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी रिटर्न में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अतिरिक्त, दिल्ली राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित, इस समीक्षा के हिस्से के रूप में जीएसटी रिटर्न का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस भाग के लिए 47 करदाताओं का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया था। अपनाई गई पद्धति शुरू में संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलन और खतरों के संकेत की पहचान करने के लिए जीएसटीआर 9सी के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी रिटर्न तथा वित्तीय विवरणों की एवं बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य रिकॉर्ड की डेस्क समीक्षा करना था। सीएजी फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालय में डेस्क समीक्षा की गई। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के कारण कारकों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड जैसे वित्तीय बहीखाता, चालान आदि की मांग करके राज्य कर विभाग के क्षेत्रीय संरचनाओं में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी।

जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और खतरों के संकेत की पहचान करने के लिए जीएसटी रिटर्न और अन्य बुनियादी रिकॉर्ड की एक डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके बाद करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन की सीमा और क्षेत्र द्वारा की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए राज्य कर विभाग के क्षेत्रीय संगठन द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन अंततः दाखिल रिटर्न की सत्यता, आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन को प्रभावित करता है। पूर्ण या आंशिक रूप से लेखापरीक्षा किए गए 47 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने ₹ 163.82 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 97 अनुपालन कमियां देखीं। इनमें से विभाग ने एक मामले में ₹ 92.25 करोड़ का आईटीसी रिवर्सल और दो मामलों में ₹ 0.16 करोड़ की वसूली की सूचना दी। इसलिए, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को (ए) रिटर्न (बी) आईटीसी का उपयोग और (सी) कर देनदारी का निर्वहन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतिकरण/आंशिक उत्पादन)

निम्नलिखित पैराग्राफ में अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतिकरण का विवरण:

ए) **अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतिकरण:** लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 47 मामलों की डेस्क समीक्षा की और विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त आईटीसी और कर देयता बेमेल आदि से संबंधित जोखिमों की पहचान की। आईटीसी आयाम पर, जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 9 के साथ जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं की तुलना करके बेमेल की पहचान की गई। कर देयता आयाम पर, जीएसटीआर 3बी की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 से तथा जीएसटीआर 9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में घोषणाओं की तुलना करके बेमेल की पहचान की गई। तथापि, अधिक/अनियमित आईटीसी लाभ और ₹ 46.89 करोड़ की न चुकाई गई देनदारी से संबंधित जोखिम वाले 40 मामलों में, विभाग ने केवल रिटर्न के आधार पर आईटीसी और कर देनदारी आदि के बेमेल कारक की जांच के लिए आवश्यक पूरक वित्तीय बहीखाता, चालान, अनुबंध की प्रतियां आदि जैसे विस्तृत रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए। अन्य जोखिम भरे क्षेत्र जैसे आपूर्ति का गलत वर्गीकरण, आपूर्ति का कम मूल्यांकन आदि को भी अपेक्षित रिकॉर्ड के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं की जा सकी। अभिलेखों की गैर-प्रस्तुतिकरण की मामला-वार सूची **अनुलग्नक 1.18** में दी गई है।

I. रिटर्न

47 करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि 16 करदाताओं द्वारा रिटर्न में ब्याज भुगतान नहीं किया गया था, जो नीचे दिया गया है:

ए) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 मामलों में, जो कि लेखापरीक्षा किए गए 47 मामलों में से 38 *प्रतिशत* हैं, करदाताओं ने या तो अपना रिटर्न देर से दाखिल किया या वार्षिक रिटर्न यानी जीएसटीआर-9 दाखिल करके देनदारी का भुगतान किया, लेकिन ₹ 0.45 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया। इन 18 मामलों **(अनुलग्नक 1.19 और 1.20)** में से**,** विभाग ने चार मामलों में उत्तर प्रस्तुत किया (अक्टूबर और नवंबर 2022), जिनमें से दो मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा के कहने पर ₹ 0.16 करोड़ की राशि वसूल की। शेष 14 मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. एक करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडएफ) ने वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर9 में दर्शाई गई कर देनदारी 14 फरवरी 2020 को डीआरसी 03 के माध्यम से नकद में ₹ 0.38 करोड़ का स्वैच्छिक भुगतान किया था। तथापि, करदाता ने डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) **(अनुलग्नक 1.19)** के अंतर्गत निर्धारित कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.14 की ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया। सितंबर 2022 और मार्च 2023 में विभाग से प्रतिक्रिया मांगी गई थी और विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

II. इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का मतलब किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) है, जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और 17 आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित करती हैं। सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और

एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। डीजीएसटी नियमों के नियम 36 से 45 आईटीसी का लाभ उठाने और उसे वापस करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

ए) रिटर्न जीएसटीआर-9 में आईटीसी का नॉन रिवर्सल दिखाया गया है

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 35 की उप-धारा (5) के प्रावधानों में निर्दिष्ट लोगों के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक के अतिरिक्त, धारा 51 या धारा 52 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा ने 47 मामलों में से 5 मामलों में अनुपालन कमियां देखीं, जहां करदाताओं ने ₹ 1.72 करोड़ का आईटीसी रिवर्स नहीं किया था और उस पर ₹ 0.91 करोड़ का ब्याज भी चुकाना था। कमियां मुख्य रूप से रिटर्न जीएसटीआर-9 में रिवर्सड दिखाए गए आईटीसी के कारण थीं, लेकिन जीएसटीआर 3बी के माध्यम से करदाताओं द्वारा इसे रिवर्सड नहीं किया गया था। डीजीएसटी/अधिनियम-2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत ब्याज की गणना **अनुलग्नक 1.21** में विस्तृत रूप से दी गई है। सभी मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. वार्ड 44 के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेडयू) ने वर्ष 2017-18 के जीएसटीआर 9 की तालिका 12 के अंतर्गत ₹ 1.22 करोड़ आईजीएसटी का आईटीसी रिवर्सड के रूप में दिखाया गया था तथापि रिवर्सड के कम दिखाए गए आईटीसी को न तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट करके रिवर्स किया गया था और न ही करदाता द्वारा अगले वर्ष के जीएसटीआर-3 बी के माध्यम से ऐसा किया गया था। करदाता डीजीएसटी, अधिनियम-2017 की धारा 50(3) के अंतर्गत आईटीसी पर गणना की गई, जिसे रिवर्स नहीं किया गया है, ₹ 0.64 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी था। अक्टूबर 2022 और

मार्च 2023 में विभाग से प्रतिक्रिया मांगी गई थी और विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (जून 2023)।

बी) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आईटीसी का अत्यधिक लाभ उठाना

डीजीएसटी नियम 2017 के नियम 85(4) में कहा गया है कि डीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत रिवर्स चार्ज के आधार पर देय राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके किया जाएगा और अधिनियम की धारा 16(1) आईटीसी का लाभ उठाने का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 20/2017-केंद्रीय कर (दर) नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2017 के अनुसार, एक माल परिवहन एजेंसी (जीटीए), जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) का विकल्प चुनती है और सेवा प्राप्तकर्ता को 5 *प्रतिशत* जीएसटी का भुगतान करने की देयता को स्थानांतरित करती है, उसे सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की अनुमति नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 47 मामलों में से 4 मामलों में ₹ 0.44 करोड़ की गैर-अनुपालन राशि थी और वे ₹ 0.23 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी थे, जहां करदाताओं ने या तो भुगतान की तुलना में आरसीएम के अंतर्गत अधिक आईटीसी का दावा किया था या उपरोक्त अधिसूचना के उल्लंघन में अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया था **(अनुलग्नक 1.22)**।

सभी मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

दो उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

(i) वार्ड-208 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीएन-07XXXXXXXXX1जेडजेड0) ने रिवर्स चार्ज के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के जीएसटीआर-3बी की तालिका 6.1बी के अनुसार ₹ 0.63 करोड़ कर का भुगतान किया और उसमें से ₹ 0.78 करोड़ के आईटीसी का द्वारा किया इसलिए, आरसीएम के अंतर्गत ₹0.15 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी का दावा किया। आरसीएम के अंतर्गत करदाता दावा किए गए अतिरिक्त आईटीसी के कारण ₹ 0.08 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी था।

अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 में विभाग से प्रतिक्रिया मांगी गई थी और विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

(i) अगस्त 2017 से दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान वार्ड-105 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक अन्य करदाता (जीएसटीएन 07XXXXXXXXX1जेडएल) ने आरसीएम आधार पर सेवाओं की आपूर्ति का विकल्प चुना। उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 20/2017 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीटीए जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) का विकल्प चुनता है और सेवा प्राप्तकर्ता को 5 *प्रतिशत* की दर से जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व हस्तांतरित करता है, उसे सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की अनुमति नहीं थी। तथापि, यह देखा गया कि करदाता ने उक्त कथित अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए उक्त अवधि के दौरान ₹ 0.12 करोड़ की राशि का अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया। इसके अतिरिक्त, करदाता आरसीएम के अंतर्गत अस्वीकार्य आईटीसी के दावे के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी था, जो कि ₹ 0.06 करोड़ (05.02.2020 से 31.12.22 तक - 1060 दिन) थी। इस प्रकार, करदाता से देय कुल राशि ₹ 0.18 करोड़ थी। विभाग ने दिनांक 4 अक्टूबर 2022 के अपने पत्र के माध्यम से करदाता का उत्तर अग्रेषित किया जो लेखापरीक्षा आपत्ति के लिए प्रासंगिक नहीं था।

इसके अतिरिक्त, विभाग से अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 में प्रतिक्रिया मांगी गई थी और विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

सी) आईटीसी से संबंधित अन्य सभी अभ्युक्तियां जहां अतिरिक्त रिकॉर्ड प्रदान नहीं कराएं गए थे और विश्लेषण के माध्यम से केवल बेमेल विवरण देखे जा सकते थे:-

लेखापरीक्षा ने ₹ 125.84 करोड़ की राशि के 47 मामलों में 43 गैर-अनुपालन कमियाँ देखीं। ये कमियाँ मुख्य रूप से रिटर्न जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 के अनुसार प्राप्त आईटीसी का जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी के साथ बेमेल होने, डीजीएसटी नियम 2017 के नियम 42 के अनुसार आईटीसी का गैर-रिवर्सल, क्रेडिट का गलत

आवंटन और इनपुट सेवा वितरण पर आईटीसी का अधिक लाभ उठाना था। 43 कमियों में से एक मामले में, आईटीसी को वापस न करने की श्रेणी के अंतर्गत करदाता (07XXXXXXXXXX1जेडके) ने लेखापरीक्षा के कहने पर शून्य/छूट आपूर्ति से संबंधित ₹ 92.25 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी को रिवर्स कर दिया (नवंबर 2022)।

विभाग ने छह मामलों में उत्तर प्रस्तुत किया (सितंबर-नवंबर 2022)। शेष 37 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

आईटीसी में बेमेल से संबंधित अभ्युक्तियां **तालिका-1.3.9** में दर्शाई गई हैं।

तालिका-1.3.9: करदाताओं द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेमेल

क्र.सं.	पैरामीटर	मामलों संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	**जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 के बीच बेमेल आईटीसी:** जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 रिटर्न के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी से की गई। **(अनुलग्नक-1.23)**	30	21	22.21	इंगित किए जाने पर, (अक्टूबर 2022 और मार्च, 2023), विभाग ने उत्तर दिया कि एक मामले में डीआरसी-07 जारी किया गया और चार मामलों में डीआरसी 01 जारी किया गया। 25 मामलों में विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जून 2023)।
2	**छूट प्राप्त और गैर-जीएसटी आपूर्ति के लिए प्राप्त आईटीसी का गैर/कम रिवर्सल:** दिल्ली जीएसटी नियम 2017 के नियम 42 के साथ पढ़ें, दिल्ली जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 17(2) के अनुसार, क्रेडिट की राशि इतनी तक सीमित होगी जितनी इनपुट टैक्स शून्य-रेटेड आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। **(अनुलग्नक-1.24)**	10	8	102.36	इंगित किए जाने पर, (सितंबर 2022-मार्च 2023)। एक मामले में विभाग ने उत्तर दिया कि करदाता ने ₹ 92.25 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी को रिवर्स कर दिया। दो मामलों में विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं थे। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जून 2022) शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित थे (जून 2023)।
3	**क्रेडिट के गलत आवंटन के कारण अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया:** डीजीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 17(4) के अनुसार एक बैंकिंग कंपनी या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित एक वित्तीय संस्थान के पास या तो उपधारा (2) के प्रावधानों का पालन करने या हर महीने इनपुट पर पात्र आईटीसी के पचास *प्रतिशत* के बराबर एक राशि का लाभ उठाने का विकल्प होगा। तथापि दो करदाताओं **(अनुलग्नक 1.25)** ने पूर्वोक्त अधिनियम के कथित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पचास *प्रतिशत* से अधिक आईटीसी का दावा किया।	2	2	1.10	विभाग से प्रतिक्रिया मांगी गई थी (सितंबर-2022, अक्टूबर-2022 और मार्च-2023 के बीच में)। विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (जून 2023)।
4	**इनपुट सेवा वितरण क्रेडिट के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल:** दिल्ली जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 20 (2)	1	1	0.17	करदाता (जीएसटीएन-07XXXXXXXXXX1जेडआर) ने वर्ष 2017-18 के जीएसटीआर 9 में आईएसडी

क्र.सं.	पैरामीटर	मामलों संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
	के अनुसार, आईएसडी वितरण के लिए उपलब्ध क्रेडिट को उसी महीने वितरित कर सकता है जिसमें इसका लाभ उठाया गया है।				के अंतर्गत ₹ 0.17 करोड़ की राशि के आईटीसी का दावा किया। वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 2ए की जांच से पता चला कि करदाता को ऐसा कोई क्रेडिट वितरित नहीं किया गया है। इस मुद्दे को अक्तूबर 2022 और मार्च 2023 में इंगित किया गया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

(III) कर देयता का निर्वहन

जीएसटी के मामले में करयोग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 चार्जिंग धारा है जो मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर केंद्रीय/राज्य वस्तु और सेवा कर नामक कर लगाने और संग्रह को अधिकृत करती है, जो डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर प्रत्येक अधिनियम यानी सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 20 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होता है। आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी लगाने और संग्रह करने का अधिकार केंद्र सरकार को अधिकतम 40 *प्रतिशत* की दर से देती है।

क) कर देयता का अल्प भुगतान

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई-अक्टूबर 2022) कि 47 मामलों में से 13 मामलों में वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) के आधार पर कर देयता (आरसीएम के अंतर्गत देयता को छोड़कर) के कम निर्वहन/गैर-निर्वहन के कारण ₹7.05 करोड़ की अनुपालन कमियां पाई गईं। करदाताओं को डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) के अंतर्गत ₹ 3.69 करोड़ का ब्याज भी देना था। ब्याज सहित मामले **अनुलग्नक 1.26** में दर्शाए गए हैं।

विभाग ने तीन मामलों में डीआरसी-01 (सितंबर-दिसंबर 2022) और एक मामले में डीआरसी-07 (दिसंबर 2022) जारी किया। शेष नौ मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है

i. वार्ड-33 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXX1जेड4) ने 2017-18 के दौरान वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में ₹1.8 करोड़ की देयता (आरसीएम के अंतर्गत देयता को छोड़कर) दिखाई थी, लेकिन ₹ 0.04 करोड़ की कर देयता का निर्वहन किया था। इस प्रकार करदाता ने अपनी कर देयता ₹ 1.76 करोड़ कम अदा की। करदाता को भुगतान न किए गए कर पर ₹ 0.92 करोड़ का ब्याज भी देना था।

   विभाग से अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 में प्रतिक्रिया मांगी गई थी और वह प्रतीक्षित था (जून 2023)।

ख) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर भुगतान

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर कर का भुगतान ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा तथा डीजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसेकि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

लेखापरीक्षा में (मई-अक्टूबर 2022) 47 मामलों में से 3 मामलों में ₹ 0.06 करोड़ की राशि की अनुपालन कमियां पाई गई, क्योंकि करदाताओं द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत गलत तरीके से कर भुगतान का निर्वहन करने के कारण कर की कम वसूली हुई और करदाताओं को डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50(1) के अंतर्गत ₹ 0.03 करोड़ को ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होना पड़ा। ब्याज सहित मामले **अनुलग्नक 1.27** में दर्शाये गये हैं।

सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

वर्ष 2017-18 के दौरान वार्ड 203 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करदाता (**जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडएफ**) ने जीएसटीआर-9 में तालिका 4जी (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) के अंतर्गत ₹ 0.19 करोड़ की देयता दिखाई थी, लेकिन जीएसटीआर-3बी की तालिका 6.1बी के अनुसार ₹ 0.16 करोड़ की देयता का भुगतान किया। इसप्रकार, करदाता ने आरसीएम के अंतर्गत ₹ 0.03 करोड़ देयता का कम भुगतान किया। करदाता भुगतान न किए गए कर पर ₹ 0.02 का ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी था। विभाग से अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 में प्रतिक्रिया मांगी गई थी तथा विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2023)।

ग) कर देयताओं के निर्वहन से संबंधित अन्य सभी अभ्युक्तियां डेटा विश्लेषण पर आधारित थी क्योंकि रिकॉर्ड प्रदान नहीं किए गए थे

i. कर देयता का अल्प निर्वहन

लेखापरीक्षा ने 47 मामलों में से 11 मामलों में ₹ 23.40 करोड़ की अनुपालन कमियां पाई गई (मई-अक्टूबर 2022) क्योंकि मासिक रिटर्न (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी) के आधार पर कर देयता का कम निर्वहन/गैर-निर्वहन था। मामले **अनुलग्नक 1.28 में दर्शाए गए हैं**। विभाग का उत्तर एक मामले को छोड़कर सभी मामलों (जून 2023) में प्रतीक्षित था, जिसमें विभाग ने डीआरसी-01 जारी किया था (सितंबर 2022)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

वार्ड-84 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करदाता (जीएसटआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडपी) ने वर्ष 2017-18 के दौरान फॉर्म-जीएसटीआर-1 में ₹ 17 करोड़ की देयता दिखाई थी लेकिन जीएसटीआर-3बी के माध्यम से केवल ₹ 1.24 करोड़ की कर देयता का भुगतान किया। इस प्रकार, करदाता ने अपनी कर देनदारी से ₹ 15.77 करोड़ तक कम भुगतान किया।

विभाग से अक्टूबर 2022 और मार्च 2023 में प्रतिक्रिया मांगी गई थी और वह प्रतीक्षित था (जून 2023)।

सिफ़ारिश: विभाग महत्वपूर्ण कमियों को ध्यान में रखते हुए, समय सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक उपाय शुरू कर सकता है।

1.3.7.4 विभाग द्वारा उत्तर न दिया जाना

लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत विभाग को 97 टिप्पणियाँ जारी की थीं, इनमें से 15 मामलों में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया। 82 मामलों में बार-बार अनुस्मारक (मार्च 2023 और अप्रैल 2023) और एस्ज़िट सम्मेलन (अप्रैल 2023) के बावजूद विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, सीमित लेखापरीक्षा के अंतर्गत जारी 308 अभ्युक्तियों में से 41 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए (जून 2023)। विभाग द्वारा समय पर उत्तर प्रस्तुत करने से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने में मदद मिलती है इसलिए विभाग को समय पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए ओर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

सिफ़ारिश: विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने का निर्देश दे सकता है।

1.3.8 जनशक्ति की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल कामकाज और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित जनशक्ति योजना और उसकी उचित तैनाती आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान निर्णायक प्राधिकारी (सहायक आयुक्त और जीएसटीओ) और अन्य सहायक स्टाफ (निरीक्षक) के संबंध में विभाग में जनशक्ति की स्वीकृत और कार्यरत संख्या **तालिका-1.3.10** में दी गई है।

तालिका-1.3.10: स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या

वर्ष	पदों का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का *प्रतिशत*
2017-18	निर्णायक प्राधिकारी	300	239	61	20.33
	सहायक स्टाफ (निरीक्षक)	127	100	27	21.25
2018-19	निर्णायक प्राधिकारी	300	190	110	36.66
	सहायक स्टाफ (निरीक्षक)	127	54	73	57.48
2019-20	निर्णायक प्राधिकारी	300	187	113	37.66
	सहायक स्टाफ (निरीक्षक)	127	79	48	37.79
2020-21	निर्णायक प्राधिकारी	300	160	140	46.66
	सहायक स्टाफ (निरीक्षक)	127	81	46	36.22

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी।

यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान निर्णय प्राधिकारी के संबंध में रिक्त पद 20.33 *प्रतिशत* से 46.66 *प्रतिशत* के बीच थे। इसके अतिरिक्त, सहायक स्टाफ के संबंध में रिक्त पद 21.25 से 57.48 *प्रतिशत* के बीच थे। पर्याप्त जनशक्ति के अभाव ने विभाग की कार्यकुशलता को प्रभावित किया है, जो रिटर्न की जांच की धीमी गति, पंजीकरण रद्द करने के मामलों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

1.3.9 निष्कर्ष

"जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी" पर अनुपालन लेखापरीक्षा रिटर्न फाइलिंग की अलग-अलग प्रवृत्ति और रिटर्न फाइलिंग तथा कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करने के उद्देश्य से अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्य डेटा विसंगतियों के संदर्भ में की गई थी।

यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित था, जिसने 2017-18 के लिए फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न में जोखिम क्षेत्रों, खतरों के संकेत और कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलन तथा तार्किक विसंगतियों को उजागर किया था। लेखापरीक्षा ने दो स्तरों पर व्यापार और कर विभाग के निरीक्षण कार्यों का आकलन किया - वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर और वार्डों और जीएसटी रिटर्न दोनों के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ, कार्यात्मक स्तर पर जिसमें करदाता रिकॉर्ड तक पहुंच शामिल थी। इसलिए, लेखापरीक्षा नमूने में वर्ष 2017-21 के लिए वार्ड लेखापरीक्षा के अंतर्गत 10 वार्ड शामिल थे, केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा के अंतर्गत वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चुने गए 14 मापदंडों में 308 उच्च मूल्य विसंगतियां और वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत जोखिम मूल्यांकन पर 47 करदाताओं का चयन किया गया था।

विभाग ने रिटर्न की जांच के लिए अप्रैल 2022 में एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की, जिसमें योग्य अधिकारियों को वर्ष 2017-18 और 2018-19 के रिटर्न की जांच करने के लिए उसमें उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया। 10 वार्डों की समीक्षा से पता चला कि विभाग डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अंतर्गत देर से फाइल करने वालों/फाइल न करने वालों

पर समय पर कार्रवाई नहीं कर रहा था, आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई, रिटर्न की कम जांच की गई आदि।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई 308 उच्च मूल्य की डेटा विसंगतियों में से 267 मामलों में प्रतिक्रिया दी। इनमें से 85 मामले, जो 31.83 *प्रतिशत* हैं, में अनुपालन संबंधी कमियां थीं, जिनका राजस्व निहितार्थ ₹ 1702.53 करोड़ था। भुगतान न की गई देयता, आईटीसी का बेमेल, ब्याज का कम/गैर-भुगतान, अतिरिक्त आरसीएम आईटीसी का लाभ आदि में कमियों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई, जबकि 11 *प्रतिशत* मामलों में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगतियां हुईं, नौ *प्रतिशत* मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। विभाग ने विसंगतियों के 41 मामलों का उत्तर नहीं दिया, जिनमें ₹ 38.06 करोड़ (आईटीसी और भुगतान न की गई देयताओं के कारण बेमेल) और ₹ 142.34 करोड़ (₹ 790.80 करोड़ के टर्नओवर के बेमेल के कारण) का जोखिम पहचाना गया था।

जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का सुझाव दिया गया। 47 करदाताओं के नमूने में से, 40 मामलों में, करदाता के विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, जिससे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सीमित हो गया। ये मामले आईटीसी लाभ/कर भुगतान में पहचाने गए बेमेल के कारण ₹ 46.89 करोड़ के जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्ण या आंशिक रूप से जांचे गए 47 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने ₹ 163.82 करोड़ (₹ 4.86 करोड़ के ब्याज सहित) के राजस्व निहितार्थ के साथ 97 अनुपालन कमियां देखीं। इनमें से विभाग ने एक मामले में ₹ 92.25 करोड़ का आईटीसी रिवर्सल और दो मामलों में ₹ 0.16 करोड़ की वसूली की सूचना दी। मुख्य प्रेरक कारक थे रिटर्न में बेमेल के कारण अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाना, ब्याज का भुगतान न करना, वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में उलट दिखाए गए आईटीसी को रिवर्स न करना, डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के साथ पठित डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 17(2) के अनुसार आईटीसी का गैर-रिवर्सल, क्रेडिट का गलत आवंटन, कर देयता का कम निर्वहन, आरसीएम के अंतर्गत कर का गलत निर्वहन आदि।

1.3.10 सिफारिशें

1. विभाग को एसओपी के अनुसार रिटर्न की जांच में तेजी लानी चाहिए और उन मामलों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिनकी जांच पूरी हो चुकी है लेकिन अभी भी कार्रवाई के लिए लंबित है और लंबित मांग के लिए वसूली शुरू की जा सकती है।
2. विभाग को धारा 65 के अंतर्गत करदाताओं का लेखापरीक्षा शुरू करना चाहिए और लेखापरीक्षा करने के लिए मैनुअल/प्रक्रियाओं की भी परिकल्पना कर सकता है।
3. विभाग को देर से रिटर्न फाइल करने वालों/न फाइल करने वालों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।
4. विभाग जीएसटीआर-10 फाइल न करने वालों पर अनुवर्ती कार्रवाई को मजबूत करना चाहिए।
5. विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए विसंगतियों और विचलनों के 41 मामलों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके लिए प्रतिक्रियाएं प्रदान नहीं की गई हैं और लेखापरीक्षा को परिणाम सूचित करने चाहिए।
6. विभाग को डेटा प्रविष्टि त्रुटियों पर अंकुश लगाने, करदाता अनुपालन बढ़ाने और बेहतर जांच की सुविधा के लिए जीएसटी रिटर्न में सत्यापन नियंत्रण शुरू करने पर विचार करने चाहिए।
7. विभाग को महत्वपूर्ण कमियों को ध्यान में रखते हुए, समय सीमा समाप्त होने से पहले सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए।
8. विभाग को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को लेखापरीक्षा अभुक्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश देना चाहिए।

1.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

मूल्यांकन प्राधिकारी मूल्यांकन के दौरान विक्रेता डीलरों द्वारा जमा किए गए कर को सत्यापित करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ का कम कर लगाया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.82 करोड़ का ब्याज और ₹ 2.34 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहण योग्य थे।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवीएटी) अधिनियम, 2004 की धारा 9 (2) (जी) में कहा गया है कि किसी डीलर या डीलरों के वर्ग को कोई टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि क्रेता डीलर द्वारा भुगतान किया गया कर वास्तव में विक्रेता डीलर द्वारा सरकार के पास जमा नहीं किया जाता है या आउटपुट टैक्स देयता के प्रति कानूनी रूप से समायोजित नहीं किया गया है और संबंधित कर अवधि के लिए दाखिल रिटर्न में सही ढंग से दर्शाया गया है। डीवीएटी अधिनियम की धारा 86 (10) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत गलत, भ्रामक या भ्रामक रिटर्न दाखिल करता है, वह जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये या कर की कमी की राशि, जो भी अधिक हो उसका जुर्माना देना होगा। किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक के लिए डीवीएटी अधिनियम की धारा 42 (2) के अंतर्गत ब्याज भी देना होगा।

जुलाई 2017 और मार्च 2021 के बीच चार वार्डों[28] से संबंधित मूल्यांकन किए गए 324 मामलों के रिकॉर्ड की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 के बीच) कि 11 निर्धारितियों के खरीद सारांश (अनुलग्नक-2ए) के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए व्यापार और कर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध, इन निर्धारितियों ने ₹ 79.17 करोड़ की स्थानीय खरीद पर 8.48 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया। तथापि, बिक्री सारांश (अनुलग्नक-2बी) से विपरीत सत्यापन पर, यह पाया गया कि विक्रेता डीलरों ने केवल करदाताओं को ₹ 45.14 करोड़ की बिक्री दिखाई थी और आउटपुट टैक्स संबंधित कर अवधि के लिए ₹ 6.15 करोड़ का भुगतान किया गया। इसलिए, निर्धारितियों ने अनुलग्नक-2ए

[28] वार्ड 62, 63, 84 व 101

में अनियमित स्थानीय खरीद दिखाई थी और अस्वीकार्य आईटीसी का दावा किया था।

इस प्रकार, मूल्यांकन के दौरान विक्रेता डीलरों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित करने में कर निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.82 करोड़ का ब्याज (मई 2022 तक गणना) और ₹ 2.34 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहण योग्य थे।

मामला विभाग को सूचित किया गया (फरवरी 2023)। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अप्रैल 2023) कि पांच निर्धारितियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा ₹ 2.32 करोड़ की अतिरिक्त मांग ब्याज सहित की गई है। शेष छह मामलों में उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जुलाई 2023)।